आवास भारती

वर्ष 25 | अंक 97 | अक्टूबर – दिसंबर, 2025

सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक

22 दिसंबर, 2025 लखनऊ

मुख्य सतर्कता अधिकारी की कलम से

बाल मुकुंद शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रिय पाठकों,

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 के अवसर पर, बैंक अपनी हिंदी पत्रिका 'आवास भारती' का यह विशेष अंक प्रकाशित करने पर हर्षित है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष अखंडता, पारदर्शिता और नैतिक शासन के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम 'सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी,' भ्रष्टाचार को रोकने और प्रणालियों को मजबूत करने में प्रत्येक हितधारक की भूमिका पर उचित रूप से जोर देता है।

इस विशेष अंक में बैंक के अधिकारियों के साथ–साथ आवास वित्त कंपनियों के अधिकारियों के लेख और दृष्टिकोण शामिल हैं, जो सतर्कता, नैतिक आचरण और सुशासन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं। ये योगदान संगठन में ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के हमारे साझा संकल्प को दर्शाते हैं।

भ्रष्टाचार आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत प्रगति में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। इससे निपटने के लिए संगठनों, कर्मचारियों और हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसलिए, सतर्कता केवल एक नियामक आवश्यकता नहीं है बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी है जो विचार, शब्द और कार्रवाई में ईमानदारी की अपेक्षा करती है। पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाकर, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करके और प्रणालियों में लगातार सुधार करके, हम संगठनात्मक प्रभावशीलता और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ा सकते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के निर्देशों के अनुरूप, निवारक सतर्कता पहलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसमें शिकायतों और सतर्कता मामलों का समय पर निपटान, प्रणालीगत सुधारों का कार्यान्वयन, कर्मचारियों की क्षमता–निर्माण, प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन और पारदर्शिता और सेवा वितरण बढ़ाने के लिए डिजिटल पहलों को अपनाना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और सभी स्तरों पर जवाबदेही को मजबूत करना है।

अखंडता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता एक प्रभावी सतर्कता ढांचे की आधारशिला बनाती है। प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह नैतिक मानकों का पालन करे, और कानूनों, नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करे। अखंडता प्रतिज्ञा नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने, सभी रूपों में भ्रष्ट व्यवहार को अस्वीकार करने, अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को बनाए रखने, हितधारकों के हितों की रक्षा करने और शिकायत निवारण और व्हिसलब्लोइंग के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

सतर्कता तब सफल होती है जब यह बाहरी प्रवर्तन तंत्र के बजाय संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। एक प्रभावी सतर्कता पारिस्थितिकी तंत्र न केवल कदाचार को रोकता है बल्कि विश्वास, निष्पक्षता और व्यावसायिकता को भी बढ़ावा देता है, जिससे संस्था की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बढ़ती है।

अंततः मैं सभी योगदानकर्ताओं को उनके विचारोत्तेजक लेखों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि 'आवास भारती' का यह विशेष अंक जागरूकता फैलाने, नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करने और एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन के निर्माण की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने में एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगा।

बालमुकुन्द

(बाल मुकुंद शर्मा)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

संपादकीय

रंजन कुमार बरुन
महाप्रबंधक

मुझे राष्ट्रीय आवास बैंक का 97वां अंक प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अंक में विभिन्न सतर्कता सम्बन्धी तकनीकी लेखों का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक की वित्तीय क्षेत्र में सकारात्मक निष्पादतकता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पत्रिका में बैंक के दिसंबर, 2025 तिमाही के वित्तीय परिणाम भी प्रकाशित किये गए हैं।

बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका 'आवास भारती' के 97वें अंक में बैंक के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की झलकियां भी प्रस्तुत की गयी है। बैंक ने अधिकारियों को सतर्कता के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से एक नवोन्मेषी प्रयास करते हुए बैडमिंटन, पोस्टर मेकिंग एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

इसी अवधि के दौरान बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा अधिकारियों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका उद्देश्य बैंक में राजभाषा हिन्दी के कार्यों में अधिकारियों की रूचि को बढ़ाना था। बैंक के इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप बैंक को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु "प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ इसके साथ ही बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'आवास भारती' को भी "द्वितीय पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

यदि हम सतर्कता की बात करें तो सतर्कता, केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज की व्यापक भलाई और देश की प्रगति से जुड़ा हुआ है। जब हम सतर्क रहते हैं, तो हम केवल अपनी सुरक्षा नहीं करते, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां तकनीकी प्रगति, सामाजिक और प्राकृतिक चुनौतियां हर दिन नई समस्याओं के रूप में हमारे सामने आती हैं, सतर्क रहना हमारी साझा जिम्मेदारी बन गया है। यदि सभी नागरिक, कर्मचारी, शिक्षक और संगठन सतर्कता को अपनाएं, दूसरों को जागरूक करें और समाज में सुरक्षा और जिम्मेदारी की भावना फैलाएं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। सतर्कता के बिना विकास और सुरक्षा की कल्पना अधूरी है, इसलिए इसे केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी न मानकर हम सभी की साझा जिम्मेदारी के रूप में अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

अंत में मैं आप सभी पाठकवर्ग को यह सन्देश देना चाहूंगा कि एक सतर्क संस्थान ही एक स्वस्थ्य संस्थान के रूप में विकसित हो सकता है अतः यह हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि निवारक सतर्कता प्रावधानों को अंगीकार करें एवं इनका प्रयोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में करें।

हमारा पूर्व की तरह यह प्रयास रहेगा कि आने वाले अंकों में बेहतर लेखों का संकलन किया जाए एवं आपकी प्रतिक्रिया के अनुरूप पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

(रंजन कुमार बरुन)
महाप्रबंधक

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी संख्या, दिल्ली इन /2001/6138

वर्ष 25, अंक 97, अक्टूबर–दिसंबर, 2025

प्रधान संरक्षक
संजय शुक्ला
प्रबंध निदेशक

संपादक
रंजन कुमार बरुन
महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
उप प्रबंधक

संपादक मंडल
पीयूष पाण्डेय, उप महाप्रबंधक
प्रभात रंजन, क्षेत्रीय प्रबंधक
दीपाली नंदन प्रसाद, क्षेत्रीय प्रबंधक
तुषार कुमार, प्रबंधक
अंकित पाठक, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक मंडल या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर–5,ए, इंडिया हैबीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

विषय सूची

विषय **पृष्ठ**

राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यावसायिक व अन्य गतिविधियां 4

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि पर लोकसंपर्क कार्यक्रम ... 5

हिंदी मास 2025 का आयोजन 8

सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी 9

सतर्कता हम सबकी साझा जिम्मेदारी है 13

सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी 17

सतर्कता– हमारी साझा जिम्मेदारी 21

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 के दौरान आयोजित गतिविधियां 24

सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी 27

निवारक सतर्कता क्यों महत्वपूर्ण है – एक समग्र, विस्तृत विश्लेषण 32

भारत बनाम दुनियाः म्यूचुअल फंड उद्योग की तुलना कैसे की जाती है 37

पूर्वोत्तर भारत का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान 41

पांच बरस लम्बी सड़क 45

राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यावसायिक व अन्य गतिविधियां

हिंदी कार्यशाला- राँची क्षेत्रीय कार्यालय?

11 दिसंबर को लोक भाषा एवं लोक संस्कृति पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में किया गया। इस कार्यशाला में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक, श्री सोनल टेटे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इनके साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (राँची कार्यालय) के प्रशासनिक अधिकारी श्री समरेंद्र कुमार तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लिमिटेड के विधि अधिकारी श्री सौरभ कुमार भी शामिल हुए। राष्ट्रीय आवास बैंक (राँची क्षेत्रीय कार्यालय) के अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थति दर्ज की।

क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री परिचय ने मुख्य अतिथि का स्वागत पौधा देकर किया। सहायक महाप्रबंधक श्री सुशील कुमार ने विधि अधिकारी का स्वागत करते हुए उन्हें एक पौधा भेंट किया तथा सहायक प्रबंधक श्री अमन आदित्या ने प्रशासनिक अधिकारी को पौधा भेंट करके उनका स्वागत किया।

श्री सोनल टेटे ने लोक भाषा एवं लोक संस्कृति पर अपना वक्तव्य दिया तथा अन्य अधिकारियों ने भी अपने विचार प्रकट किये। स्थानीय लोक भाषा और लोक संस्कृति को लेकर अधिकारियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई तथा इसकी महत्ता को बहुआयामी रूप से समझा। अंत में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री परिचय ने श्री सोनल टेटे तथा अन्य अतिथिगण का धन्यवाद किया।

लोकसंपर्क कार्यक्रम - राँची क्षेत्रीय कार्यालय

राँची क्षेत्रीय कार्यालय ने 12 दिसंबर 2025 को KYC, FPC और AML Measures (कार्यवाही) पर लोकसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड की आवास वित्त कंपनियां और राष्ट्रीय आवास बैंक के राँची क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात अधिकारियों ने भाग लिया। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक, श्री नीरज चतुर्वेदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रभारी अधिकारी, श्री परिचय, ने उन्हें एक पुस्तक भेंट करके उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने अपना भाषण दिया जो सभी प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक था और उन्होंने इस संबंध में अपने व्यावहारिक अनुभव भी साझा किए। श्री अमन आदित्या, सहायक प्रबंधक, ने Fair Practices Code (FPC) पर एक पीपीटी प्रस्तुत की और क्षेत्रीय प्रबंधक श्री परिचय के मार्गदर्शन में विभिन्न आवास वित्त कंपनियों के प्रतिभागियों के साथ इसके बारीक पहलुओं पर चर्चा की।

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि पर लोकसंपर्क कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) पर एक लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रमुख हितधारक विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच यूआईडीएफ के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाना था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को यूआईडीएफ ढांचे, पोर्टल कार्यक्षमता, यूआईडीएफ परिचालन दिशानिर्देशों, अनुपालन आवश्यकताओं और परियोजना के अनुमोदन से लेकर वितरण के बाद की निगरानी तक की प्रक्रिया से परिचित कराना था।

कार्यक्रम विवरण–

- कार्यक्रम का नाम– शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) पर लोकसंपर्क कार्यक्रम।
- दिनांक और समय– 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) अपराह्न 3:30 बजे से।
- बैठक का तरीका– ऑनलाइन (माइक्रोसॉफ्ट टीमों के माध्यम से – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)।
- द्वारा आयोजित– राष्ट्रीय आवास बैंक, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय।

सहभागी

इस कार्यक्रम में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित विभागों और एजेंसियों के लगभग 25–30 अधिकारियों ने भाग लिया।

- वित्त विभाग
- शहरी विकास विभाग
- कार्यान्वयन एजेंसी

इन प्रतिभागियों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य–

लोकसंपर्क कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य निम्नानुसार थे–

- शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) का व्यापक अवलोकन प्रदान करना।
- यूआईडीएफ पोर्टल और इसकी प्रमुख विशेषताओं के साथ हितधारकों को परिचित कराना।
- यूआईडीएफ दिशानिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किए जाने वाले अनुपालन को समझाने हेतु।
- यूआईडीएफ के तहत परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के प्रतिभागियों को अवगत कराना, जिसमें परियोजनाओं के मूल्यांकन और मंजूरी के लिए उनसे आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट पर चर्चा शामिल है।
- संवितरण तंत्र और संवितरण के बाद की निगरानी ढांचे की रूपरेखा तैयार करना।
- यूआईडीएफ परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रश्नों को संबोधित करना और परिचालन पहलुओं को स्पष्ट करना।

एजेंडा/मुख्य विषय शामिल हैं–

कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक,

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने निम्नलिखित पहलुओं को कवर करते हुए विस्तृत प्रस्तुति दी:

- शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) का अवलोकन – उद्देश्य, दायरा और वित्तपोषण संरचना।
- परियोजना प्रस्ताव अपलोड करने और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं सहित यूआईडीएफ पोर्टल का प्रदर्शन और पूर्वाभ्यास।
- राज्यों–संघ राज्य क्षेत्रों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ यूआईडीएफ दिशानिर्देश और महत्वपूर्ण प्रावधान।
- समितियों द्वारा स्क्रीनिंग और मंजूरी के चरणों सहित परियोजना स्वीकृति और अनुमोदन प्रक्रिया।
- यूआईडीएफ के तहत संवितरण प्रक्रिया और समय सीमा/किश्तें शामिल हैं।
- वितरण के बाद निगरानी, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और निरीक्षण तंत्र। गैर–प्रारंभिक परियोजनाओं की परिभाषा और परियोजनाओं की आधारभूतता।
- यूआईडीएफ परियोजनाओं हेतु विस्तृत चेकलिस्ट।

सत्र में एक संवादात्मक चर्चा भी शामिल थी, जिसमें प्रतिभागियों ने प्रलेखन, पोर्टल से संबंधित मुद्दों और परिचालन चुनौतियों से संबंधित प्रश्न उठाए, जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक टीम द्वारा उचित रूप से संबोधित किया गया।

कार्यक्रम का परिणाम–

- कार्यक्रम ने एकल मंच में लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी हितधारकों को जोड़ने और वित्त विभागों, शहरी विकास विभागों और यूआईडीएफ के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर स्पष्टता और जागरूकता पैदा करने की सुविधा प्रदान की।
- प्रतिभागियों ने यूआईडीएफ पोर्टल संचालन और अनुपालन आवश्यकताओं की व्यावहारिक समझ प्राप्त की।
- कार्यक्रम की इंटरैक्टिव प्रकृति ने प्रश्नों के समाधान की सुविधा प्रदान की, जिससे भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यूआईडीएफ परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय आवास बैंक, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यूआईडीएफ पर आयोजित लोकसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सत्र के अंत के बाद, प्रस्तुति की प्रति, अद्यतन यूआईडीएफ दिशानिर्देश और यूआईडीएफ के तहत आवश्यकताओं की चेकलिस्ट की प्रति सभी प्रतिभागियों के साथ मेल के माध्यम से साझा की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यालय में वित्तीय साक्षरता एवं आवास वित्त में धोखाधड़ी रोकथाम संबंधी पुस्तिकाओं का वितरण

अनुसंधान एवं व्यवसाय पहल विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में तथा विद्यार्थियों के मध्य वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने हेतु बैंक के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 04–09–2025 को पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, पत्रकारपुरम, लखनऊ में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्य विषय–वस्तु –

- वित्तीय साक्षरता एवं पर्यावरणीय सततता – बचत, बजट बनाना, डिजिटल बैंकिंग तथा पर्यावरण–सचेत वित्तीय विकल्पों की मूलभूत जानकारी।
- आवास वित्त में धोखाधड़ी रोकथाम – सामान्य गृह ऋण धोखाधड़ियों की जानकारी, बचाव के उपाय एवं सुरक्षित बैंकिंग प्रथाएँ।

कार्यक्रम की प्रमुख झलकियाँ

- लक्षित श्रोता – वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा (कक्षा 11–12) के छात्र–छात्राएँ
- प्रारूप – लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संवादात्मक प्रस्तुति एवं जागरूकता सत्र
- सामग्री – अनुसंधान एवं व्यवसाय, पहल विभाग द्वारा साझा की गई सतत वित्त एवं आवास वित्त धोखाधड़ी जागरूकता संबंधी पुस्तिकाओं का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यार्थियों में वितरण
- संलग्नता – छात्रों की सक्रिय भागीदारी एवं प्रश्नोत्तर सत्र

प्रभाव एवं अभिप्राय –

- छात्रों को व्यावहारिक वित्तीय आदतों का ज्ञान प्राप्त हुआ।
- विद्यालय प्रशासन एवं छात्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

हिंदी मास 2025 का आयोजन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का अनुसरण करते हुए बैंक द्वारा 15 सितम्बर, 2025 से हिंदी मास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री के संदेश का परिचालन अधिकारियों के बीच किया गया। इसके अतिरिक्त बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश भी अधिकारियों के बीच परिचालित किया गया।

हिंदी मास के दौरान राजभाषा के प्रति अधिकारियों की रूचि बढ़ाने के लिये 05 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा प्रतियोगिताओं में कुल 19 विजेता अधिकारियों के साथ जोखिम प्रबंधन विभाग को चल वैजन्ती शील्ड प्रदान की गयी।

सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी

एस. पद्मावती
सहायक महाप्रबंधक

परिचय

'महानता की कीमत जिम्मेदारी है।' – विंस्टन चर्चिल

महानता केवल प्रतिभा या महत्वाकांक्षा से संबंधित नहीं है – यह जिम्मेदारी से संबंधित है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इस महान राष्ट्र के सभी नागरिकों का सामूहिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, नागरिक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

सतर्कता का मूल उद्देश्य संगठन के हर क्षेत्र में अखंडता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, और कर्मचारियों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना जरूरी है। सतर्कता कार्य का स्वामित्व संगठन के हर हिस्से में होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ अधिकारियों के पास जो सतर्कता कार्य का प्रबंधन करते हैं। सतर्कता हमेशा होनी चाहिए, और प्रत्येक कर्मचारी से न केवल अपने काम के लिए बल्कि संगठन में अपने आसपास की घटनाओं के लिए भी सतर्कता कार्मिक होने की उम्मीद है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन केवल भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। विभिन्न हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में भाग लेना चाहिए। ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना अनिवार्य है जो सभी नागरिकों और सामाजिक संस्थानों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ देश के नागरिकों के बीच अखंडता की भावना पैदा करता हो।

माता–पिता, परिवार, सहकर्मी समूह, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक बुद्धिजीवी और आध्यात्मिक नेता, नागरिक समाज, प्रेस, सोशल मीडिया, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) सहित संचार मीडिया ने व्यक्तियों, संगठनों और बड़े पैमाने पर समाज में उच्च नैतिक मूल्यों के विकास और प्रसार की जिम्मेदारी साझा की है।

सतर्कता प्रशासन

एक प्रभावी सतर्कता प्रशासन संगठन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह अखंडता और विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो संगठन के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है।

सतर्कता कार्य के तीन पहलू हैं। निवारक सतर्कता जिसका उद्देश्य चूक की घटना को कम करना है (कानून, नियम या सरकार की जरूरत का उल्लंघन), जासूसी सतर्कता जिसका उद्देश्य चूक की घटना की पहचान और सत्यापन करना है और दंडात्मक सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना को रोकना है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुधार

भारत सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) केंद्र सरकार के विभाग जैसे बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित (पीएसयू) के माध्यम से सतर्कता कार्यों की निगरानी करती है और सार्वजनिक सेवाओं में अखंडता और ईमानदारी के रखरखाव के लिए भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करती है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, सरकार ने पारदर्शी नागरिक–अनुकूल सेवाएं प्रदान करने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ उपायों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से 1 सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत नागरिकों को सीधे कल्याणकारी लाभों का वितरण, सार्वजनिक खरीद में ई–निविदा का कार्यान्वयन, ई–गवर्नेंस की शुरूआत और प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सरलीकरण और ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) आदि के माध्यम से खरीद की शुरूआत शामिल है।

एक शीर्ष अखंडता संस्थान के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक बहु–आयामी रणनीति और दृष्टिकोण

“सतर्कता विभाग सरकार और किसी संगठन के शीर्ष प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो स्थापित नीतियों के निष्पादन और अनुपालन की देखरेख करता है। सतर्कता विभाग के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया गया इनपुट प्रदान करके और उनके उन्मूलन के अंतिम लक्ष्य के साथ उनके आसपास किसी भी बेईमान गतिविधियों की पहचान में सक्रिय रूप से भाग लेकर सहयोग करने की उम्मीद की जाती है।”

अपनाया है, जिसमें दंडात्मक, निवारक और भागीदारी सतर्कता शामिल है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह ऐसी ही एक पहल है जो भ्रष्टाचार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और नैतिक शासन की आवश्यकता को मजबूत

करने के लिए हर वर्ष मनाई जाती है। सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विनियमों, निगरानी बैंकों की स्थापना और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके धोखाधड़ी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनिवार्य करता है कि बैंक महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें और धोखाधड़ी को जल्दी से पहचानने और रोकने के लिए केवाईसी मानदंडों और जोखिम–आधारित

पर्यवेक्षण ढांचे जैसे मजबूत आंतरिक नियंत्रणों को लागू करें। आरबीआई धोखाधड़ी–संभावित क्षेत्रों पर बैंकों का मार्गदर्शन भी करता है और डिजिटल और धोखाधड़ी के अन्य रूपों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करता है।

सतर्कता प्रशासन – संगठन की सर्वोत्तम प्रथाएं

सतर्कता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित करना जो न केवल कदाचार को रोकता है बल्कि विश्वास और नैतिक व्यवहार में निहित कार्य वातावरण को भी बढ़ावा देता है। इस संदर्भ में, संगठनों की कुछ सर्वोत्तम प्रथाएं नीचे दी गई हैं।

1. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहलः 'प्योर फॉर श्यूर' उद्देश्यः 'प्योर फॉर श्यूर' पहल का उद्देश्य अंतिम मील वितरण अक्षमताओं को दूर करना और एलपीजी सेवाओं के लिए ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना है। बीपीसीएल एलपीजी डिलीवरी इकोसिस्टम में उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक सुविधा और ग्राहक के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए अद्वितीय और आधुनिक समाधान लागू करने की योजना बना रहा है। परिणामः 'प्योर फॉर श्योर' पहल ने पारदर्शिता, चोरी को रोकने, डायवर्जन और अंतिम मील डिलीवरी में ओवरचार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए टैम्पर प्रूफ क्यूआर–कोडित मुहरों को तैनात किया ।
2. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पहलः 'भर्ती अंक पोर्टल में पारदर्शिता' उद्देश्यः अंक पोर्टल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत करता है। इसने आवेदकों के मन में एक नया विश्वास पैदा किया है और भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। परिणामः 2021–22 में 104 की तुलना में 2023 में आरटीआई आवेदनों की संख्या घटकर 47 और 2024 में 13 हो गई।
3. गेल इंडिया लिमिटेड, पहलः 'अनुश्रवण और अनुपालन' उद्देश्यः अनुश्रवण किसी भी आउटसोर्स जनशक्ति के वैध प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए एक गेट पास सिस्टम है। यह एक विशिष्ट अनुबंध को सौंपे गए सभी अनुबंध श्रमिकों को एक्सेस कार्ड और गेट पास जारी करने के लिए डिजाइन किया गया है। अनुपालन अनुबंध श्रमिकों के संबंध में भुगतान संबंधी अनुपालनों की निगरानी करने की एक प्रणाली है।

परिणामः सुव्यवस्थित गेट पास जारी करने से लेकर भुगतान से संबंधित अनुपालनों पर नजर रखने तक, इन प्रणालियों ने परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और समृद्ध औद्योगिक संबंधों को काफी बढ़ाया है।

इस प्रकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग अन्य संगठनों को समान उपायों को अपनाने और सुशासन को बढ़ावा

देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम अभ्यास और सफलता की कहानियों का प्रसार करता है।

सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी

भ्रष्टाचार उन्मूलन केवल भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में भाग लेना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बड़े पैमाने पर समाज की भूमिका को वर्ष 1962 में संथानम समिति में उद्धृत किया गया है क्योंकि लंबे समय में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल उसी हद तक सफल होगी जिस हद तक अनुकूल सामाजिक माहौल बनाया गया है। जब ऐसा वातावरण बनाया जाता है, और भ्रष्टाचार जनता के मन के लिए घृणित हो जाता है और लोक सेवक और सामाजिक नियंत्रण प्रभावी हो जाते हैं, तो अन्य प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और दंडात्मक उपाय महत्वहीन हो सकते हैं और शिथिल हो सकते हैं और कम से कम हो सकते हैं।

इस संबंध में, सतर्कता आयोग द्वारा एक अनुकूल सामाजिक वातावरण बनाया जाता है जो नागरिकों और सामाजिक संस्थानों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ देश के नागरिकों के बीच अखंडता की भावना पैदा करता है। कुछ पहलों में शामिल हैं: (क) सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का शुभारंभ (ख) पीएसबी, पीएसई, शैक्षणिक संस्थानों, सतर्कता अध्ययन मंडलों, गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना। (ग) ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता ग्राम सभाओं और अन्य शिकायत निवारण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में गतिविधियों का आयोजन (घ) पैनल चर्चा, लेखों के लिए प्रेस – इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग और (ड़) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग जिस पर जनता भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा कर सकती है। एक लोक सेवक – संगठन के खिलाफ।

यद्यपि प्रणालियां, नीतियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, एक व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अखंडता को बढ़ावा देने की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति की अखंडता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह संस्था की अखंडता के निर्माण में मदद करती है।

एक कर्मचारी के रूप में हमें बिना किसी विचलन के नियमों और संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसके अलावा, नियमों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की स्पष्ट समझ और जानकारी को अद्यतन करना आवश्यक है। बैंक पर झूठे दावे, टीए दावे, प्रतिपूर्ति दावे, आदि से बचा जाना चाहिए।

सेवा/आचरण नियमों के माध्यम से अपने नियंत्रण में अधिकारियों द्वारा नैतिक व्यवहार और अखंडता बनाए रखने के लिए संगठनों का अपना अच्छी तरह से परिभाषित संस्थागत ढांचा है। संगठन को नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि संगठन और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष

आइए हम सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जीवन में ईमानदार होने की प्रतिज्ञा करने के अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ने का प्रयास करें, न केवल लोक सेवकों के रूप में हमारे सार्वजनिक व्यवहार में, बल्कि धरती पर दूसरे इंसानों के साथ एक इंसान के तौर पर भी।

"आप जिस तरह बोलते हैं बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।"

–महावीर प्रसाद द्विवेदी

सतर्कता हम सबकी साझा जिम्मेदारी है

रीजा के
उप महाप्रबंधक

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी संभावित खतरे या कठिनाइयों को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी बनाए रखने के रूप में 'सतर्क' को परिभाषित करती है।

यह शब्द जीवन के सभी पहलुओं में व्यापक रूप से लागू होता है। नागरिकों के रूप में, हम विनियमों का पालन करने और समाज के भीतर सतर्क रहने के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी साझा करते हैं, उपयुक्त अधिकारियों को किसी भी कदाचार की पहचान और रिपार्ट करते हैं। देश ने ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया है।

सतत विकास के माध्यम से 'विकसित भारत बनाने के लिए, सतर्कता वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्वीकार करते हुए कि भ्रष्टाचार और गैरकानूनी कृत्य महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं, सतर्कता विभाग सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संगठनात्मक संदर्भ में, 'सतर्कता' एक संगठन के संचालन की निरंतर निगरानी को दर्शाता है, साथ ही नैतिक मानकों को बनाए रखने और सभी आधिकारिक व्यवहारों में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय करना।

अनैतिक व्यवहार का प्रतिकार करने के लिए सतर्कता आवश्यक है जो संगठनात्मक कल्याण पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देता है। ये कार्रवाई, जो दूसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। इसलिए, इस तरह के कदाचार को कम करने और संगठन के हितों की रक्षा के लिए सतर्कता आवश्यक है।

सतर्कता एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जो सरकारी या राज्य संस्थाओं से परे है। नतीजतन, संगठन भ्रष्टाचार और संबंधित कदाचार की पहचान, रोकथाम और शमन करने वाली रणनीतियों को लागू करने के लिए एक कानूनी और नैतिक दायित्व रखते हैं। इसमें आम तौर पर एक व्यापक सतर्कता योजना का विकास और प्रसार शामिल होता है, जिसमें जोखिम मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई शामिल होती है। सतर्कता सप्ताह के दौरान इस प्रतिबद्धता पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है।

इसलिए, सवाल उठता है: क्या सतर्कता की जिम्मेदारी सतर्कता विभाग तक ही सीमित है, या केवल वार्षिक सतर्कता सप्ताह के दौरान जागरूकता की आवश्यकता है?

इस प्रश्न को संबोधित करने से पहले, विभिन्न प्रकार की सतर्कता और उनके संबंधित हितधारकों की जांच करना उचित है।

सतर्कता के मुख्य प्रकार निवारक सतर्कता, दंडात्मक सतर्कता और जासूसी सतर्कता हैं:

- **निवारक सतर्कता:** इसका उद्देश्य प्रभावी नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करके कदाचार को होने से पहले ही रोकना है।
- **जासूसी सतर्कता:** लेखापरीक्षा रिपोर्ट और शिकायतों जैसे तंत्रों के माध्यम से वर्तमान प्रथाओं और कदाचार की पहचान करने और सत्यापन पर केंद्रित है।
- **दंडात्मक सतर्कता:** इसमें गलत कामों की जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना शामिल है।

आइए हम एक संगठन में शामिल हितधारकों की जांच करें:

एक संगठन के भीतर हितधारकों की जांच करते समय, हम पाते हैं कि कर्मचारियों, टीम लीडरों, प्रबंधकों, शीर्ष प्रबंधन, सतर्कता विभाग और सरकार की अपनी भूमिका है। वे आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए सतर्कता बनाए रखने का पता लगाने की जिम्मेदारी साझा करते हैं।

- **कर्मचारी की जिम्मेदारियां:** सतर्कता एक विकल्प नहीं है, स्थापित नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करना हमारा दायित्व है।
- **प्रबंधन और नेतृत्व जिम्मेदारियां:** प्रबंधक और नेता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कर्मचारी और टीम के सदस्य अनुशासन और परिचालन दक्षता बनाए रखते हुए उचित रूप से दिशानिर्देशों और नीतियों का पालन करें।
- **शीर्ष प्रबंधन:** अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के भीतर सरकारी निर्देशों और नीतियों को अपनाना और लागू करना चाहिए।

“साझा सतर्कता इस सिद्धांत में निहित है कि किसी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को भ्रष्टाचार और उसके परिणामों के बारे में चिंतित होना चाहिए। प्रभावी निवारक उपायों के लिए, कर्मचारियों को खुले तौर पर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। कर्मचारियों को समस्याओं की पहचान करते समय अपने वरिष्ठों के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के संवाद करने में सक्षम होना चाहिए।”

सतर्कता विभाग सरकार और किसी संगठन के शीर्ष प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो स्थापित नीतियों के निष्पादन और अनुपालन की देखरेख करता है। सतर्कता विभाग के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया गया इनपुट प्रदान करके और उनके उन्मूलन के

अंतिम लक्ष्य के साथ उनके आसपास किसी भी बेईमान गतिविधियों की पहचान में सक्रिय रूप से भाग लेकर सहयोग करने की उम्मीद की जाती है। यह सहयोगात्मक प्रयास ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक साझा जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक संगठनात्मक इकाई आपस में जुड़ी हुई है और हमारे राष्ट्र के भीतर भ्रष्टाचार से निपटने के सामूहिक प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जिम्मेदारी के दायरे का विस्तार करना

कई लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार और इसके उन्मूलन के लिए केवल सरकारी कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं। हालांकि, समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से निजी क्षेत्र, भी इस जिम्मेदारी का हिस्सा है।

जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में, हम इन क्षेत्रों के साथ जुड़ सकते हैं ताकि उन्हें गलत काम करने के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके और पूरे देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयासों का समर्थन किया जा सके।

भ्रष्टाचार की पहचान करने में पर्यवेक्षकों की भूमिका

उदाहरण के लिए, आवास वित्त क्षेत्र में, जहां सतर्कता विभागों की प्रत्यक्ष निगरानी नहीं हो सकती है, राष्ट्रीय आवास बैंक एक पर्यवेक्षक होने के नाते महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे डेटा एकत्र करके, दस्तावेजों का समर्थन करके और इन मुद्दों को प्रबंधन को रिपोर्ट करके बड़े पैमाने पर आवास वित्त कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली भ्रष्टाचार प्रथाओं की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं। दंडात्मक सतर्कता रोकथाम रणनीतियों के हिस्से के रूप में, इन निष्कर्षों को प्रबंधन और सतर्कता विभाग के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और सख्त नीति निर्माण के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने में मदद की जा सके।

कुछ अन्य उदाहरण जहां हम कार्य कर सकते हैं वह सार्वजनिक खरीद की तरह है जहां कई भ्रष्ट आचरण हो रहे हैं जैसे, बोली में हेराफेरी, कार्टेलाइजेशन आदि। कुछ चेकलिस्ट विकसित करके हम आसानी से गलत काम करने वालों की पहचान कर सकते हैं और संबंधित संस्थान को रिपोर्ट कर सकते हैं, भले ही यह हमारे पूर्वावलोकन के भीतर न हो क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म को करना हमारी साझा जिम्मेदारी है।

भ्रष्टाचार और इसकी रोकथाम में कर्मचारी की भागीदारी

भ्रष्टाचार उन्मूलन के माध्यम से सतत विकास को तीव्र करने के लिए, हमें अपनी साझा जिम्मेदारी के बारे में जागने और जागरूक बनने की आवश्यकता है।

निवारक सतर्कता, जिसमें नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विवेकाधिकार में कटौती, पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही में सुधार, कर्मचारियों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें गलत काम करने से रोकना शामिल है। कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारियों को शिक्षित–संवेदनशील बनाना और संवेदनशील पदों पर स्वच्छ अखंडता

के अधिकारियों को तैनात करना। इस तरह के उपाय संगठन निवारक सतर्कता को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए लागू कर सकते हैं।

मुक्त वार्तालाप–संप्रेषणः मुक्त वार्तालाप–संप्रेषण को प्रोत्साहित करके, कर्मचारी निर्णय के डर के बिना अपने विचारों, चिंताओं और प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। इससे टीम की गतिशीलता, उच्च विश्वास स्तर और उत्पादकता में वृद्धि होती है और तदनुसार कर्मचारी परिणामों के डर के बिना मुद्दों को संप्रेषित करने के लिए अधिक सशक्त महसूस करते हैं।

प्रशिक्षणः प्रभावी प्रशिक्षण न केवल संभावित खतरों के प्रबंधन में कर्मचारियों के विश्वास को बढ़ाता है, बल्कि व्यवहार प्रशिक्षण और नैतिक हैकिंग सिमुलेशन के माध्यम से एक सतर्क कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अनैतिक कृत्यों की संभावना में महत्वपूर्ण कमी आती है।

साझा सतर्कता इस सिद्धांत में निहित है कि किसी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को भ्रष्टाचार और उसके परिणामों के बारे में चिंतित होना चाहिए। प्रभावी निवारक उपायों के लिए, कर्मचारियों को खुले तौर पर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। कर्मचारियों को समस्याओं की पहचान करते समय अपने वरिष्ठों के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के संवाद करने में सक्षम होना चाहिए।

"ईमानदारी वह है जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी सही काम करना"

जिम्मेदार नागरिकों के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश के कानूनों का पालन करें। कई मामलों में जहां नियम अच्छी तरह से परिभाषित नहीं हैं, हमें फिर भी वफादारी और अखंडता के साथ कार्य करना चाहिए। यह विशेष रूप से सार्वजनिक खरीद (बोली धांधली, कार्टेलाइजेशन आदि) जैसे क्षेत्रों में है। कर्मचारियों द्वारा सरकारी लाभों का उपयोग आदि।

अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना, एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली को स्थापित करके कानून/नीति के उल्लंघन को रोकना, संगठन के भीतर अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और हमारे पूर्वावलोकन के भीतर अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। इसी तरह, हमारी जानकारी में गलत काम करने की घटनाओं की रिपोर्टिंग भी समान रूप से एक अपराध है और यह हमारी साझा जिम्मेदारी भी है। सामूहिक रूप से, हम अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करके, जिम्मेदार पेशेवर आचरण का प्रदर्शन करके और एक व्यक्ति के रूप में नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए अधिक मजबूत और न्यायसंगत भारत में योगदान दे सकते हैं। आइए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हों!

'हां।'– सतर्कता हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

'हिंदी राष्ट्रीयता के मूल
को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।'

–पुरूषोत्तम दास ठंडन

सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी

विनीत सिंघल
महाप्रबंधक

'आप आज जिम्मेदारी से बचकर कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।'

– अब्राहम लिंकन

साझा जिम्मेदारी – स्वामित्व की सोच/मानसिकता

जिम्मेदारी वह है जो हमसे करने की उम्मीद की जाती है और हम दूसरों के साथ –साथ खुद के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा कर रहे हैं। अपने वादे को पूरा करने के मामले में भरोसेमंद होना भी जिम्मेदारी का एक जरूरी हिस्सा है।

"सतर्कता" शब्द रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूकता और तैयारी के महत्व को बताता है। इसकी लैटिन जड़ें निगरानी और सावधानी के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध को उजागर करती हैं। ऐतिहासिक रूप से, सुरक्षा और जिम्मेदारी के संदर्भ में "सतर्क" होना एक आवश्यक तत्व रहा है। मेहनती नेता, चौकस पहरेदार और सावधान नागरिक, सभी जिम्मेदार और सतर्क माने जाते थे। इसलिए, जब 'सतर्क' शब्द खतरे के प्रति सतर्क, सावधान और चौकस रहने से जुड़ा होता है, तो स्वाभाविक रूप से यह जागरूकता और जिम्मेदारी के संदर्भ में मजबूत अर्थ रखता है।

इस तरह सतर्कता और जिम्मेदारी साथ–साथ चलते हैं। कभी–कभी लोग जिम्मेदारी के बोझ तले दबे महसूस करते हैं। लेकिन जिम्मेदार होना सशक्तिकरण हो सकता है। यह सब 'स्वामित्व मानसिकता' से सम्बन्धित है। और जब आप अपनी जिंदगी में, या अपने आस–पास किसी संगठन या समाज में होने वाली हर चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप हालात बदल सकते हैं।

इस तरह जब हम अपने समाज में मौजूद एक निश्चित स्थिति के बारे में शिकायत करते हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार हो या सार्वजनिक कार्यान्वयन कार्यक्रमों को संभालने वाले लोगों की अखंडता के संदर्भ में हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हम न केवल स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त सशक्त हैं, बल्कि यह शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व लाने की हमारी साझा जिम्मेदारी भी है।

एस्प्रिट डी कॉर्प्स – साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना

कार्यस्थल पर टीम भावना को बढ़ावा देना कर्मचारियों को एकता की भावना देता है और सेट–अप को अधिक उत्पादक

बनाता है। भावनात्मक दृष्टिकोण से, यह आत्म–सम्मान का स्रोत है; यह अधिक प्रेरणा लेने में मदद करता है और; सफलताओं को अधिक महत्व दिया जाता है।

इसी तरह, जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं तो विफलता भी सापेक्ष होती है क्योंकि जब एक टीम में साझा जिम्मेदारियां होती हैं, तो निंदा और दोष अलग तरह से महसूस होते हैं। इस प्रकार अंततः सतर्कता अधिक व्यापक हो जाती है और निवारक सतर्कता का रूप लेती है।

टीम भावना को बढ़ावा देने का तरीका है कंपनी कल्चर को बेहतर बनाना, कॉर्पोरेट बैठकों और भ्रमण का आयोजन करना, कर्मचारियों को एक साथ लाने के लिए स्पोर्ट्स टीम बनाना और टीम की कामयाबी का जश्न मनाना। ये गतिविधियां कर्मचारियों के बीच अधिक समझ को बढ़ावा देती हैं, भावनात्मक स्तर पर जुड़ती हैं और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना किसी संगठन की गतिविधियों के प्रति अंतर्निहित सतर्क दृष्टिकोण बनाती हैं। निवारक सतर्कता का यह रूप कर्मचारियों के बीच एकजुटता, वफादारी और साझा जिम्मेदारी की भावना की अधिक भावना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

कार्रवाई में साझा जिम्मेदारी

अच्छे/आवश्यक निवारक उपायों की पहचान और प्रसार के लिए, प्रारंभिक कदम आवश्यक हैं। यह निर्धारित करना बेहद महत्वपूर्ण है कि अच्छे/आवश्यक उपायों का प्रसार कैसे किया जा सकता है, साथ ही स्थानीय परिस्थितियों में दोहराया और अनुकूलित किया जा सकता है।

कर्मचारियों को एक अपरिहार्य आपदा के लिए तैयार होने के लिए एक संगठन को अधिक समय देने के लिए आपसी आपसी विचार–मंथन सत्रों के माध्यम से कुछ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी प्रणाली अपने आप में कोई रामबाण इलाज नहीं हो सकती, लेकिन सबसे जरूरी बात यह होगी कि साझा जिम्मेदारी तंत्र के माध्यम से किसी बुरी स्थिति से बचा जाए।

क्या निवारक सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए साझा जिम्मेदारी के लिए शीर्ष प्रबंधन भी महत्वपूर्ण होगा? इस क्षेत्र में प्रबंधन की

महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रबंधन को अपने कर्मचारियों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए मौजूदा संगठनात्मक संरचना का पूरा उपयोग करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए। इसे दुनिया में कहीं और अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम सतर्कता प्रथाओं और पारदर्शी तरीके से संगठन के भीतर सूचना–साझाकरण के बारे में पर्याप्त जागरूकता प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। आवधिक अंतराल पर कुछ प्रशिक्षण और ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। यह जिम्मेदारी के सिद्धांत को मजबूत करेगा और सहिष्णुता स्तर को परिभाषित करके स्थितियों को कम करने में मदद करेगा। इस सहिष्णुता स्तर का कोई भी उल्लंघन होने पर कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी बन जाएगी कि वे सही कार्रवाई करें। लेकिन यह प्रबंधन के तत्वावधान में होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत कर्मचारियों द्वारा एकतरफा कार्रवाई के माध्यम से।

जब भी ईमानदारी का कुछ उल्लंघन होता है, तो यह याद रखना चाहिए कि 'संगठन को कुछ करना चाहिए' का नारा 'कर्मचारियों को कुछ करना चाहिए' में बदल जाना चाहिए। यह वे कर्मचारी हैं जो संगठन के मालिक हैं, और उन्हें अपनी साझा जिम्मेदारी के माध्यम से प्रबंधन द्वारा कार्रवाई के लिए राजनीतिक इच्छा प्रदान करनी होती है।

सभी संगठनों को भ्रष्टाचार उन्मूलन, पारदर्शी नीतियों को बढ़ावा देने और निवारक सतर्कता को बढ़ावा देने के लक्ष्यों के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करना चाहिए। एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले संगठन के प्रबंधन को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक रणनीति को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: (क) कानून के शासन को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार के कारणों को उलटने के लिए काम करना; (ख) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए काम करना; 3 (ग) बेहतर वित्तीय नियंत्रण जैसे भ्रष्टाचार विरोधी उपकरणों का विकास; (घ) संगठन में उत्पादक और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने की क्षमता का निर्माण।

राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार नागरिकों को स्वेच्छा से राज्यों में यात्रा करने, टीमें बनाने और नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने, अस्वीकार करने और रिपोर्ट करने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके लक्षित समूहों में

कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, सिविल सेवक, निजी क्षेत्र, मीडिया और पुलिस शामिल हो सकते हैं। ऐसे संस्थानों में भ्रष्टाचार विरोधी क्लब बनाए जा सकते हैं। सतर्कता के विषय पर नाटक आयोजित किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी की भावना लाएंगे।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है जिसे भ्रष्टाचार उन्मूलन की पूरी जिम्मेदारी लेनी है। एकतरफा प्रतिक्रियाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी और टिकाऊ परिणाम सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के खिलाड़ियों द्वारा एक समन्वित दृष्टिकोण सतर्कता को मजबूत करने के लिए अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। इससे समाज के अलग. –अलग तबकों में जिम्मेदारी का भाव आएगा।

“टीम भावना को बढ़ावा देने का तरीका है कंपनी कल्चर को बेहतर बनाना, कॉर्पोरेट बैठकों और भ्रमण का आयोजन करना, कर्मचारियों को एक साथ लाने के लिए स्पोर्ट्स टीम बनाना और टीम की कामयाबी का जश्न मनाना। ये घटनाएं कर्मचारियों के बीच अधिक समझ को बढ़ावा देती हैं, भावनात्मक स्तर पर जुड़ती हैं और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना किसी संगठन की गतिविधियों के प्रति अंतर्निहित सतर्क दृष्टिकोण बनाती हैं।”

निजी क्षेत्र में व्यावसायिक नेताओं के बीच प्रतिबद्धता, भागीदारी और सहयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ समन्वित अभियान को विकसित करने और बढ़ावा देने की दिशा में अद्भुत परिणाम दे सकता है।

निष्कर्ष

'साझा जिम्मेदारी' की अवधारणा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह व्यक्तियों के अधिकारों को साथी समुदाय के कर्तव्यों के साथ भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण रखने के लिए जोड़ता है, इस विश्वास को मजबूत करता है कि 'सतर्कता' मजबूत अखंडता के केंद्र में है। 'साझा जिम्मेदारी' न केवल भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली प्रदान करने में देश की विफलता के लिए जवाबदेही का आधार स्थापित करती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो साफ–सुथरा समाज चाहते हैं। यह न केवल प्रतिक्रियाशील उपायों के लिए, बल्कि रोकथाम के लिए भी जनता की जिम्मेदारी को संहिताबद्ध करता है।

“देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी विश्व की महान भाषा है।”

– राहुल सांकृत्यायन

सतर्कता- हमारी साझा जिम्मेदारी

आशीष जैन
क्षेत्रीय प्रबंधक

प्रस्तावना

सतर्कता मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि समाज की आत्मा है। यह वह चेतना है जो हमें आसन्न खतरों, नैतिक पतन और सामा. जिक बुराईयों से सचेत करती है। किसी राष्ट्र की प्रगति, उसकी सुरक्षा, और उसकी समृद्धि का मूलाधार यह सुनिश्चित करता है कि उसके नागरिक, संस्थान और तंत्र सब मिलकर सतर्क रहें।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ विविधताएँ अपार हैं और अवसरों के साथ –साथ चुनौतियाँ भी उतनी ही व्यापक हैं, सतर्कता केवल एक विभाग या एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। यह एक साझा जिम्मेदारी है–सरकार, नागरिक, मीडिया, शिक्षा संस्थान, निजी क्षेत्र और हर वह व्यक्ति जो समाज का अंग है।

सतर्कता का व्यापक अर्थ

सतर्कता का सामान्य अर्थ होता है–सचेत रहना, सावधानी बरतना और संभावित खतरों, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या किसी अन्य नैतिक विचलन से पहले ही जागरूक हो जाना। परंतु यह केवल "रोकथाम" नहीं है, यह एक मानसिकता है–एक सतत जागरूकता, जो हर स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को जन्म देती है।

सतर्कता विभाग का कार्य

- भारत सरकार का सतर्कता आयोग (CVC) हो या विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी –इन सभी का दायित्व है कि वे प्रणालीगत खामियों को चिन्हित करें और कार्य संस्कृति को भ्रष्टाचारमुक्त बनाएं। लेकिन क्या केवल ये संस्थाएँ पर्याप्त हैं?

बिलकुल नहीं। यदि समाज स्वयं भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अन्याय के प्रति मूकदर्शक बना रहे, तो कोई भी संस्था अकेले यह युद्ध नहीं जीत सकती।

इतिहास और परंपरा में सतर्कता

भारतीय संस्कृति में सतर्कता कोई नई अवधारणा नहीं है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और महाकाव्यों में भी सतर्क और विवेकी रहने की प्रेरणा दी गई है।

- महाभारत में युधिष्ठिर का कथनः "धर्म वह नहीं जो केवल ग्रंथों में लिखा है, बल्कि वह है जो विवेक से समझ में आता है।"
- चाणक्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में स्पष्ट किया कि राजा को केवल दंड देने वाला नहीं, बल्कि एक सतर्क संरक्षक होना चाहिए।

ब्रिटिश काल में जब स्वतंत्रता सेनानी गुप्त रूप से बैठकें करते,

योजनाएँ बनाते, और अंग्रेजों की नजरों से बचे रहते–वह सतर्कता ही थी। सतर्कता ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को बल प्रदान किया।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सतर्कता की आवश्यकता

आज हम डिजिटल युग में हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइबर लेन–देन, और ग्लो. बल नेटवर्किंग के इस दौर में जहाँ एक ओर विकास की रफ्तार है, वहीं दूसरी ओर खतरों की भी गति तेज है। ऐसे में सतर्कता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

1. साइबर सुरक्षा में सतर्कता

- हर दिन लाखों लोग फिशिंग ईमेल, फ्रॉड कॉल, और लिंक क्लिक करके अपना डेटा गंवा बैठते हैं।
- यदि हर व्यक्ति थोड़ा सतर्क हो जाएकृसोच समझकर लिंक खोलें, दो–स्तरीय प्रमाणीकरण (2FA) का उपयोग करें–तो बड़े नुकसान रोके जा सकते हैं।

"सतर्कता का सामान्य अर्थ होता है–सचेत रहना, सावधानी बरतना और संभावित खतरों, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या किसी अन्य नैतिक विचलन से पहले ही जागरूक हो जाना। परंतु यह केवल "रोकथाम" नहीं है, यह एक मानसिकता है–एक सतत जागरूकता, जो हर स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को जन्म देती है।"

2. भष्टाचार के विरुद्ध सतर्कता

- सरकारी योजनाओं में लूट, नकली बिल, मनरेगा या पीडीएस घोटाले–इनकी जड़ में निगरानी का अभाव होता है।
- यदि स्थानीय नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सतर्क रहें और रिपोर्ट करें, तो भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर हो सकती हैं।

3. स्वास्थ्य और पर्यावरण

- कोविड महामारी ने दिखा दिया कि व्यक्तिगत लापरवाही समाज के लिए घातक हो सकती है।
- मास्क पहनना, दूरी बनाना, टीकाकरण –ये सब व्यक्तिगत सतर्कता के छोटे लेकिन प्रभावी उदाहरण थे।

सतर्कता: एक साझा जिम्मेदारी

सतर्कता का बोझ एक विभाग, एक अधिकारी या एक नियम तक सीमित नहीं हो सकता। यह जिम्मेदारी हम सभी की है। इसे समझने के लिए हमें समाज के अलग–अलग वर्गों की भूमिका को समझना होगा–

1. नागरिक की भूमिका

- झूठी जानकारी साझा न करना

- संदिग्ध गतिविधि देख कर रिपोर्ट करना
- सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता की माँग करना
- भ्रष्टाचार के प्रति 'No Tolerance' दृष्टिकोण रखना

2. सरकार और संस्थानों की भूमिका

- पारदर्शी प्रक्रिया बनाना
- शिकायत दर्ज करने की आसान व्यवस्था (जैसे CVC पोर्टल)
- दोषियों को सजा सुनिश्चित करना
- प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाना

3. मीडिया की भूमिका

- तथ्यात्मक रिपोर्टिंग
- घोटालों को उजागर करना
- सकारात्मक उदाहरणों को प्रचारित करना

4. शिक्षा प्रणाली की भूमिका

- स्कूली स्तर पर नैतिक शिक्षा, जिम्मेदार नागरिकता, और 'सतर्कता कार्यशालाएँ'
- विश्वविद्यालयों में सतर्कता क्लब, RTI एक्ट की शिक्षा

5. निजी क्षेत्र

- कार्यस्थलों पर एथिक्स ट्रेनिंग
- डेटा सुरक्षा और आंतरिक शिकायत प्रणाली

प्रेरणादायक उदाहरण (Case Studies)

'एक शिक्षक की सतर्कता से बचे लाखों'

उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ने देखा कि स्कूल के नाम पर सरकारी पोर्टल पर फर्जी छात्रों के नाम से अनुदान लिया जा रहा है। उन्होंने RTI के माध्यम से जानकारी ली और अधिकारियों को सूचित किया। जाँच हुई और पूरे जिले में सुधार लाया गया।

'सतर्क नागरिक ने रोकी साइबर ठगी'

- दिल्ली के एक युवा ने सोशल मीडिया पर एक नकली NGO द्वारा कोविड राहत के नाम पर चंदा माँगते देखा। संदेह होने पर उसने उसकी पड़ताल की और साइबर पुलिस को रिपोर्ट किया। वह NGO दरअसल ठगों का गिरोह था, जिसे समय रहते पकड़ा गया।

'शिक्षक बना सतर्कता का प्रहरी'

केरल के एक शिक्षक ने छात्रों को श्सतर्क नागरिकश बनाने के लिए एक क्लब शुरू किया, जहाँ वे भ्रष्टाचार, ईमानदारी, और नैतिकता पर नाटक करते, पेंटिंग बनाते और स्टोरी लिखते। आज वह स्कूल राज्य में सतर्कता मॉडल स्कूल माना जाता है।

क्या हैं सतर्कता को बढ़ाने के उपाय?

1. जन–सतर्कता मंच"– हर जिले में एक ओपन हॉल, जहाँ नागरिक भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या किसी विसंगति की गुप्त शिकायत कर सकें।
2. "सतर्कता सप्ताह"– हर वर्ष, स्कूलों,

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025

के दौरान आयोजित गतिविधियां

कॉलेजों और दफ्तरों में प्रतियोगि. ता, शपथ, वाद–विवाद, नुक्कड़ नाटक।

3. मीडिया कैंपेन– सरकार द्वारा 'सतर्कता ही शक्ति है' जैसे स्लोगन से प्रचार।
4. E&Governance का विस्तार– कम मानवीय हस्तक्षेप = कम भ्रष्टाचार
5. गुप्त सूचनाकर्ता सुरक्षा नीति– शिकायत करने वालों को सुरक्षा और पुरस्कार।

चुनौतियाँ और समाधान–

चुनौती	समाधान
भय या असुरक्षा में शिकायत न करना	गुप्त रिपोर्टिंग तंत्र, कानूनी संरक्षण
अनभिज्ञता	सतर्कता शिक्षा, मीडिया जागरूकता
"सब चलता है" मानसिकता	प्रेरणादायक कहानियाँ, उदाहरण
तकनीकी कमजोरी	साइबर शिक्षा, डिजिटल साक्षरता

निष्कर्ष–

एक राष्ट्र केवल अपनी सेना, अपनी अर्थव्यवस्था या अपने कानूनों से महान नहीं बनता। वह महान बनता है जब उसके नागरिक जिम्मेदार, ईमानदार और सतर्क हों। सतर्कता कोई विकल्प नहीं, यह अनिवार्यता है–हर दिन, हर क्षण, हर क्षेत्र में।

जब हम सब जागते हैं, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहता है।

जब हम सब चेतते हैं, तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है।

और जब हम सब सतर्क होते हैं, तभी भारत श्रेष्ठ बनता है।

अंतिम संदेश

सतर्कता एक आदत बने,
जिम्मेदारी साझा बने,
और राष्ट्र प्रगति की ऊँचाइयों को छूए।

मेरे विचार

सतर्कता केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि यह मानसिकता है जो हमें संकटकालीन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करती है। लेकिन एक चीज पर विचार करें: क्या हम कभी खुद को उस एक मिनट के लिए रुकने और सोचने का समय देते हैं, जब हम सचमुच सतर्क हो सकते हैं? शायद यही वह कड़ी है जो हमारे समाज में बदलाव ला सकती है। सतर्कता एक ऐसी जीवनशैली होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर न केवल जागरूक हों, बल्कि सचमुच उन्हें निभाएं भी।

'हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।'

– पंडित मदन मोहन मालवीय

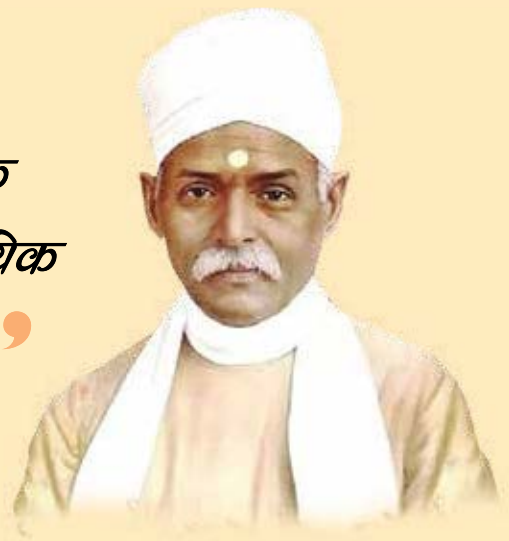

सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी

मुनीष भूटानी
सहायक महाप्रबंधक

नैतिक शासन का एक स्तंभ

शासन में सतर्कता एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो केवल प्रशासनिक नियंत्रण से परे है। यह सार्वजनिक प्रणालियों की अखंडता की रक्षा का सिद्धांत है, जो नैतिक, निष्पक्ष शासन और प्रत्येक संस्था की सामूहिक विश्वसनीयता है। तेजी से बदलती दुनिया में, जहां प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रणालियों अक्सर उन्हें नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए नियामक ढांचे से आगे निकल जाती हैं, सतर्कता सार्वजनिक विश्वास के क्षरण के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। जबकि नीति–निर्माता और कानूनी प्रणालियाँ सतर्कता बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करती हैं, बड़ी जिम्मेदारी समाज के सभी वर्गों की होती है, सरकारी निकायों से लेकर राजस्व के नागरिकों, व्यवसायों और नागरिक संगठनों तक।

यह विषय इस बात को पुष्ट करता है कि सतर्कता को न केवल सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि एक साझा कर्तव्य के रूप में भी देखा जाना चाहिए जिसमें नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए सद्भाव में काम करना सभी हितधारक शामिल हैं।

शासन में सतर्कता का गतिशील अवतरण

शासन के क्षेत्र में सतर्कता का तात्पर्य सार्वजनिक संस्थानों के भीतर संभावित कदाचार, धोखाधड़ी गतिविधियों और भ्रष्ट व्यवहार के प्रति सतर्क रहने और इन मुद्दों को रोकने या उनका समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई से है। इसमें निष्क्रियता के कई अर्थ शामिल हैं, यह ऐसे वातावरण बनाने के लिए एक सक्रिय और निरंतर प्रयास है जहां जवाबदेही आदर्श बन जाती है, अपवाद नहीं।

दशकों से, भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम जैसे संस्थानों के निर्माण के माध्यम से सतर्कता को संस्थागत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन दोनों तंत्रों ने सार्वजनिक पारदर्शिता में सुधार किया है। हालांकि, सतर्कता को केवल एक टॉप–डाउन नियामक उपकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक सांस्कृतिक बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए

– एक मानसिकता जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में नैतिक व्यवहार की निगरानी और संरक्षण में सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता तक प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

सरकार की भूमिका: जवाबदेही के संरक्षक

सरकारी संस्थान निस्संदेह सतर्कता के प्राथमिक संरक्षक हैं। वे ढांचा, कानून और प्रक्रियाएं बनाते हैं जो जनता के संसाधनों की सुरक्षा करते हैं। इस अर्थ में, सरकार सबसे अधिक जिम्मेदारी वहन करती है, क्योंकि उसके पास सार्वजनिक धन तक पहुंच है और ये उन राज्य संस्थानों के प्रबंधन का काम संभालती है। उदाहरण के लिए, भारत का सार्वजनिक वित्त प्रणाली में बड़े पैमाने पर शामिल है, जिसमें करदाताओं के पैसे का उपयोग बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।

हालांकि, सरकार खुद में काम नहीं

“भारत में, नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) और मीडिया हाउस भ्रष्टाचार को उजागर करने, गलत प्रथाओं की वकालत करने और सार्वजनिक संस्थानों से अपने कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए दबाव डालने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। 2जी स्पेक्ट्रम मामले, कोयला आवंटन घोटाले और व्यापम मामले जैसे घोटालों को उजागर करने में खोजी पत्रकारों की भूमिका इस बात की एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि सचेत, सतर्क मीडिया सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।”

कर सकती। नौकरशाही की अक्षमताएं, राजनीतिक दबाव और अत्यधिक गोपनीयता लाभ पर आधारित अवैध आचरण प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। भारत की संस्थानों को ऐसे प्रभावों से अलग रखा जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरणों में से एक सतर्कता तंत्र का विकेंद्रीकरण है। जिला–स्तरीय सतर्कता समितियों को सशक्त बनाना, स्थानीय नागरिकों को शामिल करना, और प्रौद्योगिकी का उपयोग को प्रोत्साहित करना (जैसे कि पारदर्शी ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन) जनता की सार्वजनिक संस्थानों की निगरानी करने के तरीके पर अधिक नियंत्रण और दृश्यता दे सकता है।

इसके अलावा, भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को महत्व करना महत्वपूर्ण है। भारत में एक मजबूत कानूनी प्रणाली है, जिसका उचित उपयोग होने पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। उदाहरण के लिए, भारत की

भ्रष्टाचार विरोधी अदालतें ऐसे व्यक्तियों के अभियोजन में तेजी ला सकती हैं, जिससे कदाचार के परिणामों के बारे में एक मजबूत संदेश जा सकता है। हालांकि, मामलों में भारी बैकलॉग के कारण न्याय में देरी हो रही है, जो सतर्कता प्रयासों के प्रभाव को कम करता है। इसलिए यह जरूरी है कि इन मामलों को अधिक समय–संवेदनशील तरीके से निपटाने के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार किया जाए।

नागरिक और नागरिक समाज: सतर्कता की आंखें और कान

जबकि सरकारी निकाय सतर्कता की संस्थागत रीढ़ हैं, सतर्कता को बढ़ावा देने में नागरिकों और नागरिक समाज की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। एक सतर्क जनता भ्रष्टाचार और अनैतिकता के खिलाफ बड़ी निवारक है। एक सशक्त नागरिक एक ऐसे भविष्य के लिए आवश्यक है जहां शासन में सतर्कता को महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

“निजी क्षेत्र की सतर्कता आंतरिक जांच और ऑडिट तक सीमित नहीं है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ भी काम करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में, भ्रष्ट या शोषण–मुक्त हों। उदाहरण के लिए, भारत में व्यवसायों को जिम्मेदार सोर्सिंग को सुनिश्चित करने में सक्रिय होना चाहिए। उनका संचालन पर्यावरण और श्रम नियमों का अनुपालन करता है, और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित करता है।”

भारत में, नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) और मीडिया हाउस भ्रष्टाचार को उजागर करने, गलत प्रथाओं की वकालत करने और सार्वजनिक संस्थानों से अपने कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए दबाव डालने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। 2जी स्पेक्ट्रम मामले, कोयला आवंटन घोटाले और व्यापम मामले जैसे घोटालों को उजागर करने में खोजी पत्रकारों की भूमिका इस बात की एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि सचेत, सतर्क मीडिया सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर वकालत और सामुदायिक लामबंदी के रूप में सार्वजनिक भागीदारी का एक परिवर्तनकारी प्रभाव हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थानीय सतर्कता समितियां सार्वजनिक संस्थानों के दुरुपयोग को रोकने में प्रभावी साबित हुई हैं, सरकारी कल्याण निधि के दुरुपयोग से लेकर सरकारी योजनाओं के वितरण में विसंगतियों तक। समुदाय के सदस्यों से

बनी ये समितियां स्थानीय स्तर पर शासन की निगरानी करती हैं, अनियमितताओं की रिपोर्ट करती हैं और अधिक जवाबदेही पैदा करती हैं।

डिजिटल युग अपने साथ सार्वजनिक जुड़ाव के लिए एक नया अवसर लेकर आया है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों के लिए भ्रष्टाचार या कदाचार के बारे में जानकारी को विशाल दर्शकों के साथ साझा करने में सक्षम बना दिया है। #CorruptionFreeIndia या #VigilanceMatters जैसे हैशटैग जन निगरानी की आवाज को बढ़ाते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं। सरकार और अन्य संगठनों को ऐसे प्रकार की सहभागिता को प्रोत्साहित और संरक्षित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे वास्तविक समय संचार और रिपोर्टिंग को बढ़ावा दें।

निजी क्षेत्र की भूमिका: कॉर्पोरेट प्रशासन और सतर्कता

सतर्कता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। निजी क्षेत्र भी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं कि व्यावसायिक प्रथाएं नैतिक और पारदर्शी हों। वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से, बड़ी रकम से निपटते हैं, और उनकी परिचालन अखंडता में किसी भी उल्लंघन के व्यापक आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सरबेंस–ऑक्सले अधिनियम जैसे कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे की भूमिका पर विचार करें, जिसे एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसी कंपनियों से जुड़े वित्तीय घोटालों की एक श्रृंखला के बाद अधिनियमित किया गया था। भारत में इसी तरह के उपाय, जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन कोड, यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि व्यावसायिक प्रथाएं नैतिक, पारदर्शी और जिम्मेदार हों।

निजी क्षेत्र की सतर्कता आंतरिक जांच और ऑडिट तक सीमित नहीं है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ भी काम करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला, विशेष रूप से खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में, भ्रष्ट या शोषण–मुक्त हों। उदाहरण के लिए, भारत में व्यवसायों को जिम्मेदार सोर्सिंग को सुनिश्चित करने में सक्रिय होना चाहिए। उनका संचालन पर्यावरण और श्रम नियमों का अनुपालन करता है, और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

इसे सुनिश्चित करने के लिए, कॉर्पोरेट बोर्डों और अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि सतर्कता केवल अनुपालन के बारे में नहीं है, बल्कि अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है जो संगठन के हर स्तर से प्रवाहित होती है। पारदर्शी, नैतिक प्रथाओं को अपनाने में व्यवसायों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि भारत की आर्थिक प्रोफाइल बढ़ती है और अधिक वैश्विक ध्यान आकर्षित करती है।

प्रौद्योगिकी–संचालित सतर्कता का आह्वान

जैसे–जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, सतर्कता को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। डिजिटल टूल्स जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, एआई और ब्लॉकचेन का उपयोग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक वित्तीय लेनदेन पारदर्शी, पता लगाने योग्य और अपरिवर्तनीय हो। इसी तरह, एआई संचालित प्रणालियाँ धोखाधड़ी के पैटर्न का शीघ्र पता लगा सकती हैं, जिससे भ्रष्टाचार का अवसर कम हो जाता है।

इसी तरह, वास्तविक समय में सार्वजनिक खर्च की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तैनात किया जा सकता है। एआई एल्गोरिदम

वित्तीय डेटा में असामान्य पैटर्न या विसंगतियों को चिन्हित कर सकते हैं, जिससे जांचकर्ताओं को सेक्टर होने से पहले हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है। डेटा एनालिटिक्स उपकरण भ्रष्टाचार नेटवर्क और संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार एक वास्तविक समय सतर्कता प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।

सतर्कता की चुनौतियां और आगे का रास्ता

किसी समाज में सतर्कता को व्यापक स्वीकार्यता के बावजूद, कई चुनौतियां आगे आती हैं:

- संस्थागत प्रतिरोधः नौकरशाही की जड़ता और परिवर्तन का प्रतिरोध अक्सर मजबूत सतर्कता तंत्र को अपनाने की धीमी कर सकता है। अवसर, जो लोग सत्ता में होते हैं, उनके पास पारदर्शिता या जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नहीं हो सकता है।
- प्रतिशोध का डरः व्हिसलब्लोअर और जो लोग भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करते हैं, वे अक्सर धमकी या यहां तक कि शारीरिक नुकसान के अधीन होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए और लगातार लागू किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक उदासीनताः नागरिकों के लिए उपलब्ध तंत्र के बावजूद, आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सतर्कता के महत्व से अनभिज्ञ या अनजान रह सकता है।
- राजनीतिक प्रभावः सतर्कता से संबंधित मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। राजनीतिक संरक्षक नेटवर्क अक्सर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे अभियोजन के चक्र को तोड़ना मुश्किल हो जाता है।

निष्कर्ष: भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण

सतर्कता किसी एक इकाई की जिम्मेदारी नहीं है, यह समाज के भीतर प्रत्येक व्यक्ति और संगठन का सामूहिक कर्तव्य है। सड़क पर नागरिक से लेकर सरकार के शीर्ष क्षेत्रों तक, कॉर्पोरेट बोर्डों से लेकर मीडिया और नागरिक समाज संगठनों तक, सभी को पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन की संस्कृति को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सतर्कता को नीति और विनियमों से परे होना चाहिए – यह जीवन का एक तरीका बनना चाहिए, जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कार्यों में निहित हो।

जैसे–जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ी जा रही है, सतर्कता हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों और हमारी वित्तीय प्रणालियों की अखंडता को बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली उपकरण होगा। केवल एक साझा जिम्मेदारी के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार, अक्षमता और अन्याय को दूर रखा जाए, और भविष्य निष्पक्षता, जवाबदेही और नैतिक आचरण द्वारा आकार लिया जाए।

"तुम्हें अंदर के बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है।"

– स्वामी विवेकानंद

निवारक सतर्कता क्यों महत्वपूर्ण है - एक समग्र, विस्तृत विश्लेषण

शासन, नीतिगत सुधार, प्रक्रिया–सुदृढ़ीकरण और डिजिटल पारदर्शिता के संदर्भ में समसामयिक विवेचना

जयदीप
सहायक प्रबंधक

1. भूमिका

निवारक सतर्कता उस अग्रिम पहरकी व्यवस्था है जो किसी भी संगठन अथवा सार्वजनिक तंत्र में भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ी, अनियमितता और कदाचार को घटाने के उद्देश्य से पहले से ही नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर जोखिमों को नियंत्रित करती है। इसका लक्ष्य केवल घटना के बाद दोषसिद्धि या दंड तक सीमित नहीं हैय बल्कि यह प्रोत्साहनों, अवसरों और प्रणालीगत खामियों को इस प्रकार पुनर्रचित करती है कि गलत आचरण असंगत, अलाभकारी और असंभव के निकट हो जाए।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में निवारक सतर्कता सुशासन का प्रमुख औजार है। नेतृत्व –प्रतिबद्धता, स्पष्ट आचार–संहित हित–संघर्ष के प्रबंधन, पारदर्शी प्रक्रियाएँ, समयबद्ध अनुमोदन, और सतत प्रशिक्षण–ये सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जिसमें ईमानदारी, दक्षता और जवाबदेही स्वाभाविक बनती है।

2. अवधारणा और दार्शनिक आधार

आचरण–विज्ञान और शासन–सिद्धांतों के अनुसार, अनैतिक व्यवहार प्रोत्साहनों, अवसरों और पकड़ने–की–सम्भावना के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है। यदि प्रोत्साहन ईमानदार कार्य–प्रणाली के पक्ष में हों, अवसर सीमित हों, और निगरानी विश्वसनीय हो, तो विचलन की सम्भावना स्वतः घटती है। निवारक सतर्कता का दार्शनिक आधार इसी परिवर्तन पर टिका हैरू प्रोत्साहनों और प्रणालियों का पुनर्संयोजन।

सतर्कता को प्रायः तीन आयामों में समझा जाता है– निवारक, खोजपरक (जांचपरक) और दंडात्मक। निवारक सतर्कता इन तीनों में विशिष्ट है क्योंकि यह घटना–पूर्व हस्तक्षेप द्वारा जोखिम को कम करती है, जिससे बाद के जांच और दंड की आवश्यकता तथा लागत घटती है। यह संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है और संस्थागत भरोसे को सुदृढ़ करती है।

3. ऐतिहासिक विकास और संस्थागत ढांचा

स्वतंत्रता–उपरांत प्रशासनिक सुधारों के

क्रम में विभिन्न समितियों और आयोगों ने सतर्कता तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया। विशेष रूप से सन् 1964 में गठित संथानम समिति ने दीर्घकालिक सुधारों–प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक–पर व्यापक सिफारिशें दीं, जिनसे भ्रष्टाचार–निरोध की बहुआयामी दृष्टि विकसित हुई।

अगले दशकों में सार्वजनिक संस्थानों में सतर्कता प्रकोष्ठों की स्थापना, शिकायत –निवारण प्रणालियों का विकास, और पारदर्शी प्रक्रियाओं के लिए मानक परिचालन व्यवस्थाएँ लागू हुईं। निवारक सतर्कता को संगठनात्मक एजेंडा के केंद्र में लाने के प्रयासों ने अच्छा–आचरण को व्यावहारिक बनाया और सर्वोत्तम अभ्यासों की परस्पर सीख को बढ़ावा दिया।

4. विधिक परिप्रेक्ष्य तथा नीति–समर्थन

निवारक सतर्कता को देश के विधिक ढाँचे से बल मिलता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988), केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (2003), सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (2013) जैसे प्रावधान पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत निगरानी को सुदृढ़ करते हैं।

नीति–समर्थन के स्तर पर आचार –संहिता, हित–संघर्ष नीति, पारदर्शी खरीद नीति, संपत्ति–घोषणा, पद–आवर्तन, संवेदनशील दायित्वों की पहचान, और समयबद्ध निर्णय–प्रक्रिया जैसे उपाय निवारक सतर्कता की रीढ़ हैं। ये उपाय केवल नियमन नहीं, बल्कि संगठनात्मक संस्कृति के अंग होते हैं।

5. निवारक सतर्कता का अर्थशास्त्रीय आधार

अर्थशास्त्र बताता है कि किसी भी निर्णय में लागत, लाभ और जोखिम का संतुलन निर्णायक होता है। यदि अनियमितता का संभावित लाभ कम तथा पकड़ और दंड का जोखिम अधिक हो, तो व्यक्तियाँ और संस्थाएँ स्वाभाविक रूप से वैध मार्ग चुनती हैं। निवारक सतर्कता इस संतुलन को पूर्व–नियोजित ढंग से प्रभावित करती है–विवेकाधिकार कम करके, मानकीकरण बढ़ाकर, और पारदर्शिता को संस्थागत बनाकर।

इसके अतिरिक्त, निवारक उपाय लेन–देन लागत घटाते हैं, निर्णय–गुणवत्ता बढ़ाते हैं, और विवादों की सम्भावना कम करते हैं। दीर्घकाल में यह विश्वसनीयता, निवेश–आकर्षण और सेवा–गुणवत्ता को बढ़ावा देता है।

6. नीतिगत एवं शासन–फ्रेमवर्क: प्रमुख तत्व

(क) आचार–संहिता और आचार–नीतिः स्पष्ट नैतिक मानक, हित–संघर्ष का प्रकटीकरण, उपहार–नीति, तथा संपत्ति–घोषणा।

(ख) निर्णय–प्रक्रिया का मानकीकरण: अनुमोदन–पथ, भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व, समय–सीमाएँ, तथा प्रसंस्करण–मानक।

(ग) पद–आवर्तन और संवेदनशील दायित्वों का प्रबंधन: उच्च जोखिम वाले कार्यों में निश्चित समय के बाद स्थानांतरण तथा दोहरी–जाँच व्यवस्था।

(घ) खुली जानकारी और सार्वजनिक प्रकटीकरण: निविदा, अनुबंध, भुगतान, तथा निरीक्षण–संबंधी विवरण का समय पर उद्घाटन।

(ङ) शिकायत–निवारण और सचेत सूचना –तंत्र: सुरक्षित संकेतक (गोपनीय सूचना हेतु मार्ग), समयबद्ध जाँच, और प्रतिशोध–रोधी संरक्षण।

7. प्रक्रियात्मक सुधार और आंतरिक नियंत्रण

प्रक्रिया–सुधार का लक्ष्य विवेकाधिकार को सीमित करना और मानकीकरण को बढ़ाना है। इसके लिए कार्य–प्रवाह का मानचित्रण, देरी–बिंदुओं की पहचान, तथा सुधारात्मक पुनर्रचना की जाती है। आंतरिक नियंत्रणों में अनुमोदन के स्तर, दोहरी–जाँच, रिकॉर्ड–रखरखाव, तथा स्वतंत्र लेखा–परीक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों–खरीद, अनुबंध, भुगतान, मानव–संसाधन, तथा संपत्ति–प्रबंधन–में विशेष नियंत्रण, पद–आवर्तन, और निगरानी सूचकांक अपनाए जाते हैं। इससे अवसर–जन्य अनियमितताएँ घटती हैं और प्रक्रियाएँ पारदर्शी बनती हैं।

“अर्थशास्त्र बताता है कि किसी भी निर्णय में लागत, लाभ और जोखिम का संतुलन निर्णायक होता है। यदि अनियमितता का संभावित लाभ कम तथा पकड़ और दंड का जोखिम अधिक हो, तो व्यक्तियाँ और संस्थाएँ स्वाभाविक रूप से वैध मार्ग चुनती हैं। निवारक सतर्कता इस संतुलन को पूर्व–नियोजित ढंग से प्रभावित करती है–विवेकाधिकार कम करके, मानकीकरण बढ़ाकर, और पारदर्शिता को संस्थागत बनाकर।”

8. डिजिटल पारदर्शिता तथा तकनीकी उपाय

इलेक्ट्रॉनिक खरीद, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, तथा ऑनलाइन अनुमोदन–पत्र जैसे उपाय मानवीय हस्तक्षेप को सीमित करते हैं और ट्रैकिंग को सरल बनाते हैं। आपूर्तिकर्ता–प्रबंधन मंच, भुगतान–अनुगमन, तथा दस्तावेजों की डिजिटल सत्यापन –व्यवस्था पारदर्शिता को बढ़ाती है।

रेडियो–आवृत्ति पहचान आधारित संपत्ति–ट्रैकिंग, जैव–आंकिक उपस्थिति और अनुबंध–कर्मियों का प्रबंधन, तथा सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित शिकायत निपटारा–ये तकनीकी उपाय निवारक सतर्कता को आधुनिक परिप्रेक्ष्य देते हैं।

9. क्षमता–विकास, प्रशिक्षण और नागरिक–भागीदारी

सतर्कता केवल नियमों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव से टिकाऊ बनती है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जांच–प्रक्रिया, लेखा –परीक्षा, अनुबंध–परीक्षण, तथा नैतिक निर्णय–निर्धारण पर प्रशिक्षण आवश्यक है।

नागरिक–भागीदारी के लिए ईमानदारी –संकल्प, जन–जागरूकता अभियान, विद्यालयों और महाविद्यालयों में संवाद, तथा समुदाय–आधारित निगरानी को

प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे संस्थागत भरोसा बढ़ता है और बाह्य निगरानी का प्रभाव मजबूत होता है।

10. क्षेत्रानुसार उदाहरण और सीख

रेल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, टिकट –प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, तथा संपत्ति–ट्रैकिंग से अनियमितताएँ घटती हैं। तेल और गैस क्षेत्र में खरीद–प्रक्रिया का मानकीकरण, स्वतंत्र निरीक्षण, तथा अनुबंध–प्रबंधन की डिजिटल प्रणाली निवारक सतर्कता को मजबूती देती है।

बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में ऋण–प्रसंस्करण प्रणाली का डिजिटल सत्यापन, जोखिम–. अवलोकन, और ग्राहक –पहचान की सुदृढ़ व्यवस्था महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दवा–खरीद, उपकरण –प्रबंधन, तथा सेवा–प्रमाणीकरण की पारदर्शी प्रक्रियाएँ निवारक उपायों का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

11. संगठनात्मक संस्कृति, नैतिकता और नेतृत्व

नेतृत्व का स्वर (ऊपर से संदेश) निवारक सतर्कता की आत्मा है। जब शीर्ष–स्तरीय प्रबंधन स्पष्ट रूप से ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का समर्थन करता है, तो निचले स्तर पर भी वही मानक अपनते हैं। मापन–सूचकों में प्रक्रिया–पालन, समयबद्ध निर्णय, और शिकायत–निवारण को शामिल करना आवश्यक है।

सुरक्षित संकेतक–तंत्र, प्रतिशोध–रोधी संरक्षण, तथा निष्पक्ष शिकायत–निपटारा –ये सभी संस्थान में भरोसा और नैतिकता को सुदृढ़ करते हैं।

12. निवारक बनाम जांचपरक/ दंडात्मकरू संतुलित दृष्टि

तीनों आयाम–निवारक, खोजपरक (जांचपरक), और दंडात्मक–परस्पर पूरक हैं। किन्तु संसाधनों और नेतृत्व–ध्यान को पहले निवारक उपायों पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि बाद की जांच और दंड की आवश्यकता कम पड़े। संतुलन का अर्थ है–पूर्व–नियोजन, शीघ्र–चेतावनी, निष्पक्ष जांच, और समयबद्ध दंड–इन सभी का समन्वय।

13. जोखिम–प्रबंधन, मापन–सूचक और निगरानी

जोखिम–आकलन की शुरुआत कार्य–प्रवाह के विश्लेषण से होती हैः कहाँ देरी है, कहाँ विवेकाधिकार अधिक है, और कहाँ बाह्य प्रभाव की सम्भावना है। इसके आधार पर निगरानी–सूचक निर्धारित किए जाते हैं–जैसे निर्णय का औसत समय, अनुमोदन–स्तरों का पालन, शिकायत–निपटारा की अवधि तथा निरीक्षणों के निष्कर्ष।

निरंतर निगरानी और सांख्यिकीय समीक्षा से रुझानों की पहचान होती है। समयबद्ध रिपोर्टिंग, सुधारात्मक कार्रवाई, और सर्वोत्तम अभ्यासों का साझा करना सतत सुधार को सुनिश्चित करता है।

14. कार्यान्वयन रोडमैप: चरणबद्ध दृष्टिकोण

चरण एकः जोखिम–आकलन और प्रक्रिया–मानचित्रण।

चरण दोः नियंत्रण–डिजाइन, मानक परिचालन व्यवस्था, और अनुमोदन–पथ का स्पष्ट निर्धारण।

चरण तीनः क्षमता–विकास, प्रशिक्षण, तथा सहभागिता–आधारित जागरूकता।

चरण चारः निगरानी, मापन और सतत सुधार–मापन–सूचकों का नियमित अवलोकन, समयबद्ध रिपोर्टिंग, तथा

सर्वोत्तम अभ्यासों का आदान–प्रदान।

15. डिजिटल युग की चुनौतियाँ और समाधान

साइबर–धोखाधड़ी, डेटा–गोपनीयता, और अल्गोरिदिमक पक्षपात जैसी चुनौतियाँ निवारक सतर्कता के समक्ष नई जटिलताएँ प्रस्तुत करती हैं। इनके समाधान हेतु मजबूत पहचान–प्रमाणीकरण, बहु–स्तरीय सत्यापन, स्वतंत्र निरीक्षण, तथा पारदर्शी निर्णय–तर्क का प्रकटीकरण आवश्यक है।

डिजिटल उपस्थिति का सतत अद्यतन, सार्वजनिक प्रकटीकरण, सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित शिकायत–निपटारा, और इलेक्ट्रॉनिक शासकीय उपाय–ये सभी आधुनिक निवारक सतर्कता के अपरिहार्य घटक हैं।

16. अध्ययन–प्रकरण: कथात्मक विष्लेषण

मान लीजिए किसी बड़े सार्वजनिक संस्थान में खरीद–प्रक्रिया में देरी और विवेकाधिकार अत्यधिक है। प्रारम्भिक जोखिम–आकलन में पाया गया कि निविदा–प्रकाशन, तकनीकी मूल्यांकन, और भुगतान–अनुमोदन में अस्पष्टता है। निवारक उपायों के रूप में स्पष्ट समय–सीमा, दोहरी–जाँच, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, तथा ऑनलाइन अनुमोदन–पत्र लागू किए गए। छह माह के भीतर निर्णय–समय घटा, शिकायतें कम हुईं, और शिकायत–निपटारा की अवधि में उल्लेखनीय सुधार आया।

इस अध्ययन–प्रकरण से सीख यह है कि संरचनात्मक परिवर्तन–नीति, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी–जब एक साथ लागू होते हैं, तो समग्र सुधार संभव होता है।

“साइबर–धोखाधड़ी, डेटा–गोपनीयता, और अल्गोरिदिमक पक्षपात जैसी चुनौतियाँ निवारक सतर्कता के समक्ष नई जटिलताएँ प्रस्तुत करती हैं। इनके समाधान हेतु मजबूत पहचान–प्रमाणीकरण, बहु–स्तरीय सत्यापन, स्वतंत्र निरीक्षण, तथा पारदर्शी निर्णय–तर्क का प्रकटीकरण आवश्यक है। डिजिटल उपस्थिति का सतत अद्यतन, सार्वजनिक प्रकटीकरण, सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित शिकायत–निपटारा, और इलेक्ट्रॉनिक शासकीय उपाय–ये सभी आधुनिक निवारक सतर्कता के अपरिहार्य घटक हैं।”

17. निष्कर्ष

निवारक सतर्कता दीर्घकालिक सुशासन की रणनीति है। यह अग्रिम मोर्चे पर काम करके प्रोत्साहनों और अवसरों को पुनर्संयोजित करती है, जिससे ईमानदारी और दक्षता संस्थागत मानक बनते हैं। डिजिटल युग में, जहाँ जटिलता और गति दोनों बढ़ रही हैं, निवारक सतर्कता ही वह साधन है जो भरोसे, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को टिकाऊ बनाता है।

“समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।”

– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

भारत बनाम दुनियाः म्यूचुअल फंड उद्योग की तुलना कैसे की जाती है

'म्यूचुअल फंड दुनिया का एक हिस्सा पाने का सबसे आसान तरीका है।'

मेघना प्रकाश
भूतपूर्व सहायक महाप्रबंधक

निवेश के साधन के रूप में म्यूचुअल फंड (एमएफ) अब काफी समय से हमारे साथ हैं। वैश्विक म्यूचुअल फंड उद्योग लगभग पिछले आठ दशकों में दुनिया के सबसे प्रभावशाली, विकसित और चर्चित वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र में से एक बन गया है, जो अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया जैसे बाजारों में 65–70 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रबंधन करता है। भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग, हालांकि काफी नया और छोटे पैमाने पर है, पिछले दो दशकों में तेजी से विकसित हुआ है – वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते निवेश बाजारों में से एक के रूप में उभरा है, यह सब वित्तीय साधनों में बचत के स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी में तेजी और विनियमन के माध्यम से सुरक्षा के कारण संभव हुआ है। लघु स्तर पर मुख्य आयामों में तुलना करने से पता चलता है कि कितनी दूरी तय की गई है और आगे कितनी अपार संभावनाएँ हैं।

1. विकास

वैश्विक बाजारः म्यूचुअल फंड की उत्पत्ति 1920 के दशक में यूरोप में हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तेजी से फैले, जिसमें अमेरिका इसका वैश्विक अधिकेंद्र बन गया। समय के साथ, यह क्षेत्र एक परिष्कृत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिपक्व हो गया जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), लक्ष्य–तिथि निधि, इंडेक्स फंड, विषयगत फंड और वैकल्पिक निवेश रैपर जैसे आरईआईटी (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट), आईएनवीआईटी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) आदि शामिल थे।

भारतः भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग अपेक्षाकृत नया है, और इसकी शुरुआत 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के गठन से हुई थी। लेकिन वास्तविक

विस्तार 1996 में सेबी के नियमों के बाद ही हुआ, इसके बाद निजी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) ने बाजार में प्रवेश किया, डिजिटलीकरण और व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) में तेजी से वृद्धि देखी गई। 2015 के बाद का युग – स्मार्टफोन द्वारा संचालित, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), जोरदार निवेशक शिक्षा ('म्यूचुअल फंड सही है'), और कर दक्षता – ने म्यूचुअल फंड को एक बड़े पैमाने पर खुदरा उत्पाद में बदल दिया।

2. आस्ति प्रबंधन कंपनी की संख्या और लाभप्रदता

वैश्विक: अमेरिका के पास 700–800 से अधिक फंड हाउस हैं और उन्हें निष्क्रिय निवेश से मार्जिन का दबाव झेलना पड़ रहा है। यूरोप में कई सौ एएमसी द्वारा प्रबंधित 6,000+ फंड हैं जो अत्यधिक विनियमित हैं, और इसलिए वे कम मार्जिन अर्जित करते हैं। चीन, जापान, कोरिया में लगभग ~150–200 एएमसी संयुक्त हैं।

“भारत की विशिष्टता खुदरा–भारी भागीदारी में है, लगभग 60–65% फोलियो खुदरा निवेशकों के हैं और एसआईपी एयूएम 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें एक अनोखा स्थिर खुदरा प्रवाह मॉडल है। एक और अनूठी विशेषता यह है कि वैश्विक स्तर पर मिलेनियल्स द्वारा इसे सबसे अधिक अपनाया गया है, जिसमें हाल ही में टियर 2/3 शहरों में निवेश में भारी वृद्धि देखी गई है।”

चीन में एएमसी प्रतिस्पर्धी होने के साथ –साथ अस्थिर भी हैं।

भारत: केवल ~45 एएमसी हैं, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सख्ती से विनियमित किया जाता है। समेकन ने कम लेकिन मजबूत खिलाड़ी /सदस्य (एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पोन, कोटाक, एक्सिस, मीरा, आदित्य बिड़ला सन लाइफ) निर्मित किए हैं। कम खिलाड़ियों /सदस्यों के बावजूद, भारत की एएमसी कंपनियां बड़े वैश्विक बाजारों में काम करने वाली एएमसी कंपनियों के समान परिचालन पैमाने प्राप्त करने में सक्षम रही है। भारतीय एएमसी विश्व स्तर पर सबसे अधिक लाभदायक हैं।

3. ग्राहक आधार

वैश्विक: विकसित बाजारों में निवेशक आधार काफी हद तक संस्थागत होता है – और प्रबंधन (एयूएम) के अंतर्गत परिसंपत्ति पर ज्यादातर पेंशन फंड, बीमा कंपनियों

और अक्षय निधि का दबदबा होता है। अमेरिका और यूरोप में पेंशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उच्च वृद्धावस्था भागीदारी देखी जाती है, जबकि चीन में ज्यादातर युवा लोग अल्पकालिक अभिविन्यास के साथ भारी व्यापार करते हैं।

भारतः भारत की विशिष्टता खुदरा–भारी भागीदारी में है, लगभग 60–65% फोलियो खुदरा निवेशकों के हैं और एसआईपी एयूएम 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें एक अनोखा स्थिर खुदरा प्रवाह मॉडल है। एक और अनूठी विशेषता यह है कि वैश्विक स्तर पर मिलेनियल्स द्वारा इसे सबसे अधिक अपनाया गया है, जिसमें हाल ही में टियर 2/3 शहरों में निवेश में भारी वृद्धि देखी गई है।

4. औसत एयूएम आकार

वैश्विकः अमेरिकी फंड हाउसः आमतौर पर, प्रत्येक के पास 300–400 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति होती है, वैनगार्ड और ब्लैकरॉक के पास 7–10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति है, और उच्च संस्थागत भागीदारी के कारण औसत फंड का आकार भी बहुत बड़ा है। अमेरिका और यूरोप में एएमसी के पास बॉन्ड फंड और पेंशन से जुड़ी एयूएम काफी अधिक है।

भारतः कुल एयूएम लगभग 58–60 लाख करोड़ रुपये (लगभग 700 अरब अमेरिकी डॉलर)। केवल कुछ एएमसी का एयूएम 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। औसत एएमसी एयूएम काफी कम है। भारत में एयूएम मिश्रण इक्विटी–भारी और खुदरा–संचालित है।

5. वितरण चैनल (डिजिटल बनाम सलाहकार–आधारित)

वैश्विकः अमेरिका में, वितरण चैनल लगभग 70% सलाहकार–आधारित हैं, जिनमें लगभग 401(k) योजनाएँ शामिल हैं, जबकि यूरोप में म्यूचुअल फंड का वितरण ज्यादातर बैंकों द्वारा किया जाता है।

भारतः भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर रेल/बुनियादी अवसंरचना रेल वास्तव में अद्वितीय है, क्योंकि यह डिजिटल–प्रथम वितरक–नेतृत्व वाला हाइब्रिड मॉडल (यूपीआई, ई–केवाईसी, फिनटेक) है।

“भारत में, नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) और मीडिया हाउस भ्रष्टाचार को उजागर करने, गलत प्रथाओं की वकालत करने और सार्वजनिक संस्थानों से अपने कर्तव्यों को बनाए रखने के लिए दबाव डालने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। 2जी स्पेक्ट्रम मामले, कोयला आवंटन घोटाले और व्यापम मामले जैसे घोटालों को उजागर करने में खोजी पत्रकारों की भूमिका इस बात की एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि सचेत, सतर्क मीडिया सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।”

6. प्रवेश

वैश्विकः अमेरिका में लगभग 45–55% घरों में यह प्रवेश कर चुका है और ज्यादातर निष्क्रिय है, यूरोप में यह 25–35% है और बढ़ रहा है, जबकि चीन में युवा निवेशकों के बीच इसका प्रवेश बढ़ रहा है।

भारतः भारत में, हालांकि प्रवेश अभी भी जनसंख्या के 7–8% से कम है (कम प्रवेश भारत के भविष्य के विकास का सबसे बड़ा स्रोत है), सक्रिय प्रवेश का प्रभुत्व है, हालांकि ईटीएफ और इंडेक्स फंड के कारण निष्क्रिय प्रवेश धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

एयूएम–से–जीडीपी अनुपातः अमेरिकाः 120–130%, यूरोपः 50–60%, भारतः लगभग 16–18%.

7. जीडीपी और व्यापक अर्थव्यवस्था में योगदान

वैश्विकः म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेट और सरकारी ऋण बाजारों में भारी मात्रा में पूंजी लगाते हैं।

भारतः म्यूचुअल फंड, भारत में इक्विटी पूंजी के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक के रूप में उभरे हैं। एसआईपी प्रवाह (20,000 करोड़ रुपये प्रति माह से अधिक) वैश्विक अस्थिरता के दौरान एक स्थिरता कारक के रूप में कार्य करते हैं, जैसा कि हमने हाल ही में देखा है। ऋण भागीदारी में वृद्धि से बाजार की गहराई में सुधार होता है।

8. पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि

वैश्विक वृद्धिः विकसित अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति (प्रति वर्ष 4–7%) से बढ़ती हैं।

भारत की वृद्धिः 2014 में 10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में लगभग 60 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। एसआईपी में लगातार वृद्धि हुई है, कई महीनों में खुदरा इक्विटी प्रवाह अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह से अधिक हो गया है।

9. विनियमन परिवेश

वैश्विकः अमेरिका में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) / वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण (फिनरा) उद्योग को विनियमित करते हैं, लेकिन यह ज्यादातर प्रकटीकरण –आधारित है, यूरोप में बाजारों को वित्तीय साधन निर्देश (एमआईएफआईडी II) द्वारा विनियमित किया जाता है जो ज्यादातर पारदर्शिता केंद्रित है और विभिन्न क्षेत्रों में विनियमन की जटिलता अलग–अलग है।

भारतः सेबी विश्व के सबसे कठोर नियामकों में से एक है। इसने योजना वर्गीकरण, व्यय अनुपात सीमा, मजबूत प्रकटीकरण, केवाईसी मानदंड, और डिजिटल रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अवसंरचना जैसे विभिन्न नियंत्रण स्थापित किए हैं ताकि उद्योग के विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

10. आगामी 10 वर्षों के लिए संभावना

वैश्विकः चूंकि वैश्विक एमएफ बाजार लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका है, इसलिए हम धीमी गति से वृद्धि, निष्क्रिय प्रभुत्व, शुल्क संपीड़न और एआई –संचालित सलाहकारों का नियंत्रण देख सकते हैं।

भारतः साथ ही भारतीय म्यूचुअल फंड

बाजार बढ़ती आय, बचत के वित्तीयकरण, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और कम पहुंच के साथ एक स्वर्णिम दशक में प्रवेश करेगा। अनुमान है कि 2035 तक एयूएम 150–180 लाख करोड़ रुपये (1.8–2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच जाएगा। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ (एएमएफआई) के अनुसार, एयूएम संरचनात्मक रूप से 5–6 वर्षों में दोगुना हो जाएगा।

निष्कर्ष:

विश्व स्तर पर, म्यूचुअल फंड उद्योग परिपक्व है, और संस्थान संचालित है। इसके विपरीत, भारत तेजी से बढ़ रहा है, खुदरा नेतृत्व कर रहा है और डिजिटल रूप से सक्षम है। म्यूचुअल फंड्स ने आर्थिक उतार–चढ़ाव के बावजूद जबरदस्त मजबूती दिखाई है, और मुश्किल समय में भी स्थिरता और भरोसेमंदता दी है । 2008 के वित्तीय संकट, विमुद्रीकरण, बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण चूक और COVID–19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद, अंतर्निहित बाजारों ने लगातार अपनी पिछली ऊँचाइयों को फिर से हासिल किया है, जो म्यूचुअल फंड की प्रतिष्ठा को दीर्घकालिक धन–. निर्माण साधन के रूप में पुष्टि करता है।

कड़े विनियमन, बढ़ती आय और अद्वितीय खुदरा भागीदारी के साथ, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत अगले दशक में दुनिया के शीर्ष 5 म्यूचुअल फंड बाजारों में से एक बनने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

"विश्व ने अपने म्यूचुअल फंड तंत्र को दशकों में विकसित किया, परन्तु भारत एक ही पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली, तीव्रतम और सर्वाधिक समावेशी तंत्र का निर्माण कर रहा है।"

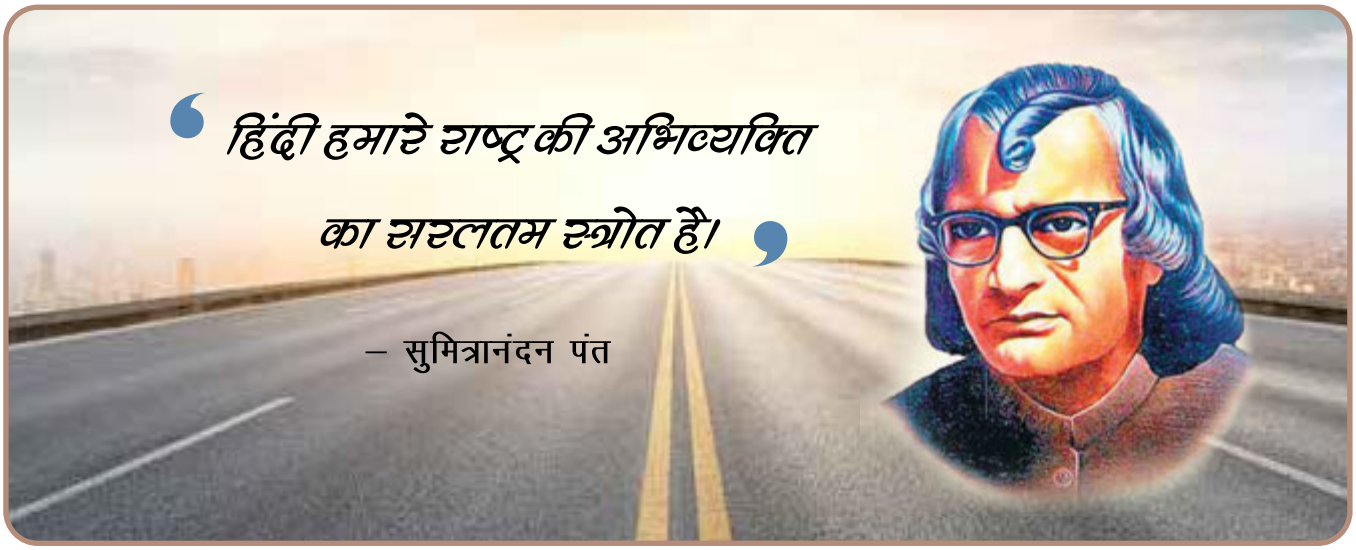

पूर्वोत्तर भारत का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

संजीव कुमार सिंह
क्षेत्रीय प्रबंधक

प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा अक्सर बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बड़े आंदोलनों के संदर्भ में होती है। लेकिन पूर्वोत्तर भारतकृअसम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश—का योगदान भी उतना ही केंद्रीय और निर्णायक रहा है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराएँ, सीमांत सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ, वन–भूमि–अधिकार, चाय उद्योग का विस्तार, औपनिवेशिक दमन के अलग-अलग रूप और अंततः आजाद हिंद फौज (INA) के युद्धक्षेत्र—ये सभी तत्व मिलकर पूर्वोत्तर की भूमिका को बहुआयामी बनाते हैं।

पूर्वोत्तर का प्रतिरोध केवल बंदूक या लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। यहाँ राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक–सांस्कृतिक जागरण, महिला नेतृत्व, कांग्रेस–किसान–मजदूर आंदोलनों और प्रेस–शिक्षा–संगीत–नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों ने भी स्वतंत्रता की धारा को नई ऊर्जा दी। इस लेख में वही पूरी कहानी आसान, रोजमर्रा की भाषा में, विस्तार से प्रस्तुत है।

1) औपनिवेशिक विस्तार और शुरुआती प्रतिरोध (1826–1890)

पूर्वोत्तर में अंग्रेजी हस्तक्षेप की निर्णायक शुरुआत 1826 की यांडाबू संधि से मानी जाती है। इस संधि के बाद असम अंग्रेजी शासन के अधीन आया और सीमांत क्षेत्रों में प्रशासनिक तथा सैन्य ढाँचा तेजी से फैलाया गया। यह केवल सत्ता का बदलाव नहीं था; इसके साथ भूमि, कर, जंगल और सड़क–निर्माण जैसी नीतियाँ लागू हुईं, जिनसे स्थानीय समाजों की पारंपरिक स्वायत्तता और जीवनशैली पर सीधा असर पड़ा।

यांडाबू संधि (1826) — क्या बदला

असम और आसपास के बड़े क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की शुरुआत हुई।

नई कर–राजस्व व्यवस्था, जंगलों पर कड़ा नियंत्रण और चाय उद्योग जैसे औपनिवेशिक आर्थिक ढाँचों का विस्तार हुआ।

सड़क और सैन्य चौकियाँ बढ़ीं, जिससे सीमांत इलाकों पर प्रत्यक्ष निगरानी हुई और पारंपरिक राजनीतिक संरचनाएँ कमजोर पड़ीं।

मेघालय — खासी–जंपदजिया का प्रतिरोध

तिरोत सिंग सिएम (1829–33) ने अंग्रेजों द्वारा सड़क और सैन्य विस्तार के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष किया। यह विद्रोह मेघालय में संगठित प्रतिरोध का प्रारंभिक प्रतीक बना।

कियांग नंगबाह (1862–63) ने कर–वृद्धि और सांस्कृतिक दमन का खुला विरोध किया। अंततः उन्हें फाँसी दी गई, और वे जन–प्रतिरोध के स्थायी प्रतीक बन गए।

असम — किसान आंदोलनों की गूँज

फूलागुरी धावा (1861, नागाँव): चाय बागान की कठोर स्थितियों और कर–

नीतियों के खिलाफ किसानों और मजदूरों ने मिलकर आवाज उठाई।

पथारुगाँव/ पथारूघाट (1894): लगान–वृद्धि और नीलामी–नीतियों के विरोध में संगठित सभा पर ब्रिटिश प्रशासन ने गोली चलवाई। यह घटना असम के इतिहास में जन–आक्रोश का बड़ा अध्याय बनी।

अरुणाचल — सीमांत पर डटकर मुकाबला

तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट में आबोर/आदि समुदायों ने कई बार ब्रिटिश टुकड़ियों को चुनौती दी।

विशेष रूप से 1911 का आबोर अभियान दिखाता है कि सीमांत समाज औपनिवेशिक विस्तार को सहज स्वीकार करने वाले नहीं थे।

यांडाबू संधि के प्रभाव — राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज

राजनीतिक असर: प्रशासनिक इकाइयाँ बनीं, भूमि–राजस्व व्यवस्था लागू हुई, सीमांत इलाकों पर सीधा नियंत्रण बढ़ा, और पारंपरिक सत्ता–संरचनाएँ कमजोर हुईं।

आर्थिक असर: चाय उद्योग का विस्तार, जंगलों पर सरकारी कब्जा, पारंपरिक अधिकारों में कमी और कर–बोझ से किसान आंदोलनों का जन्म हुआ।

सामाजिक–सांस्कृतिक असर: मिशनरी शिक्षा और नए माध्यमों से जागरूकता बढ़ी, पर सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी तेज हुआय इसी दौर में राष्ट्रीय चेतना का अंकुरण हुआ।

2) 1857 के बाद — क्रांतिकारी, कांग्रेस और जन–आंदोलन (1890–1930)

1857–58 की उथल–पुथल के बाद भी पूर्वोत्तर में प्रतिरोध की लहर जारी रही। असम के मनीराम देवान (1858) चाय उद्योग के शुरुआती भारतीय उद्यमी और औपनिवेशिक विरोध के कारण फाँसी पर चढ़ाए गए। उनकी शहादत असम के स्वतंत्रता–इतिहास में केंद्रीय स्थान रखती है।

इसके बाद तारुण राम फूकन, नलिनी रंजन घोष, देवकेन्द्रनाथ भट्टाचार्य जैसे नेताओं ने असम में कांग्रेस संगठन को मजबूत किया और स्वदेशी व असहयोग (1920–22) को गति दी।

नबीन चंद्र बोरदोलोई सहित कई कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक सक्रियता के साथ सांस्कृतिक–भाषिक चेतना को भी बढ़ाया, जिससे आंदोलन अधिक जन–आधारित बना।

छात्र–युवा मंचों और चाय–बागान मजदूरों में श्रम–अधिकार के सवाल उठे। चारगोला घाटी (1921) जैसे प्रसंगों में उग्र विरोध, गिरफ्तारियाँ और दमन देखने को मिले।

मेघालय में स्थानीय (गैर–कांग्रेसी) देशी आंदोलनों ने कर–कानून, जंगल–अधिकार और सांस्कृतिक स्वायत्तता के मुद्दों पर लोगों को संगठित किया। नागालैंड में नागा क्लब (1929) ने सायमन कमीशन के सामने ज्ञापन देकर प्रशासनिक ढाँचे पर वैचारिक सवाल उठाए।

3) सामाजिक–सांस्कृतिक जागरण और महिला नेतृत्व (1900–1940)

पूर्वोत्तर के इतिहास में सामाजिक–सांस्कृतिक जागरण और महिला नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय हैं।

मणिपुर का नुपी लान (1904; 1939) महिलाओं का ऐतिहासिक जन–आंदोलन था। 1904 में जबरन मजदूरी (लाल–कार) और 1939 में चावल–निर्यात नीति से पैदा हुए खाद्य संकट के खिलाफ महिलाओं ने संगठित विरोध किया। इस आंदोलन ने औपनिवेशिक दमन को चुनौती देने के साथ–साथ समाज में महिला नेतृत्व की मजबूत उपस्थिति दर्ज की।

हिजाम इराबोत सिंह (Irabot) ने 1930–40 के दशक में समाज–सुधार, किसान–मजदूर संगठनों और राजनीतिक चेतना के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी गतिविधियों ने औपनिवेशिक और सामंती शोषण दोनों के खिलाफ जनता को संगठित किया।

असम में ज्योति प्रसाद अग्रवाल, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ (पूर्ववर्ती काल),

महाप्राण जयनाथ और अन्य साहित्यकार –कलाकारों ने नाटक, गीत, सिनेमा, पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीयता के विचार को घर–घर पहुँचाया। असमिया प्रेस और पत्र–पत्रिकाओं ने औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना और जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाई।

त्रिपुरा के महाराजा काल (बिरेन्द्र किशोर/बिर बिक्रम किशोर) में शिक्षा, बुनियादी ढाँचा और सांस्कृतिक गति. विधियों को प्रोत्साहन मिलाय स्वतंत्रता–सेनानियों के साथ सहानुभूति ने राजनी. तिक संलग्नता का अलग स्वर बनाया।

मिजोरम/लुशाई हिल्स में चर्च–शिक्षा और स्व–संगठन से सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना विकसित हुई। यद्यपि यहाँ औपनिवेशिक–विरोध आंदोलनों का स्वर कुछ सीमित रहा, लेकिन क्षेत्रीय पहचान और अधिकार के प्रश्न प्रमुख रहे।

4) 1930–1947: कांग्रेस, किसान–मजदूर और जनजातीय प्रतिरोध

असम और त्रिपुरा में कांग्रेस समितियों ने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो (1942) के दौरान सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों के त्याग और जन–सभाओं का आयोजन किया।

गोपीनाथ बोरदोलोई ने नागरिक अधिकारों, वनध्भूमि नीति और प्रवासी–प्रश्नों पर दृढ़ रुख अपनाया। तारुण राम फूकन ने संगठनात्मक विस्तार और असहयोग के नेतृत्व से आंदोलन को गति दी। नबीन चंद्र बोरदोलोई और ज्योति प्रसाद जैसे सांस्कृतिक–नेताओं ने जन–जागरण को कलात्मक मंचों से जनदृजन तक पहुँचाया।

कुकी विद्रोह (1917–19) ने दिखाया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भर्ती और प्रशासनिक नीतियाँ सीमांत समाजों के लिए स्वीकार्य नहीं थीं।

रानी गाइदिनल्यू का जेलियांगरॉन्ग आंदोलन (1930 का दशक) सांस्कृतिक–धार्मिक पुनर्जागरण और औपनिवेशिक विरोध का संगम था। युवावस्था में उनकी गिरफ्तारी के बावजूद उनका नेतृत्व क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बना।

महिला–समितियाँ, स्वदेशी उत्पादन, खादी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए असम, मेघालय और नागालैंड में जन–चेतना का विस्तार हुआ। चर्च–संस्थाएँ, ग्रामदृसमितियाँ और शिक्षा–प्रणाली ने वैचारिक और संगठनात्मक ढाँचे को स्थिरता दी।

5) आजाद हिंद फौज (प्छ।) और पूर्वोत्तर के युद्धक्षेत्र (1944)

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभ. ाषचंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने दक्षिण–पूर्व एशिया में भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों को संगठित कर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखा।

पूर्वोत्तर भारत की भूमिका INA के संदर्भ में इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई

(1944) में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। जापानी सेनाओं के साथ मिलकर INA ने ब्रिटिश–अमेरिकी संयुक्त बलों को चुनौती दी। कोहिमा (नागालैंड) और इम्फाल (मणिपुर) इस संघर्ष के केंद्र थे।

हालाँकि सामरिक परिणाम ब्रिटिश पक्ष में गया, फिर भी प्छ। के साहस, अनुशासन और राष्ट्रीयता ने भारतीय मानस में स्वतंत्रता की आकांक्षा को और प्रबल किया।

स्थानीय जनता ने अनेक स्थानों पर INA की मदद सूचना, भोजन और मार्गदर्शन से की, लेकिन युद्ध की मार—जन–हानि, विस्थापन और आर्थिक संकट—भी झेलनी पड़ी।

सैन्य दृष्टि से लक्ष्य न पाने के बावजूद इन अभियानों का मानसिक–राजनीतिक असर गहरा रहा: अंग्रेजी अजेयता का मिथक टूटा, भारतीय सेना में असंतोष बढ़ा और INA सैनिकों पर चले मुकदमों के खिलाफ देशव्यापी जन–आक्रोश ने स्वतंत्रता की अंतिम लहर को बल दिया।

6) प्रेस, शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थान: राष्ट्रवादी भावभूमि

असमिया, मणिपुरी, खासी–जयन्तिया और नागा भाषाओं के पत्रदृपत्रिकाएँ, नाट्य–मंडलियाँ, लोक–संगीत और कविताएँ औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का प्रभावी माध्यम बनीं।

कॉलेजों और मिशनरी संस्थानों से निकली नई पीढ़ी ने स्वदेशी, सत्याग्रह और सामाजिक सुधार की धाराओं में सक्रिय योगदान दिया। यही पीढ़ी आगे चलकर कांग्रेस–किसान–मजदूर संगठनों और INA प्रसंगों में वैचारिक–संगठनात्मक पूरक बनी।

प्रेस और शिक्षा ने सीमांत समाजों की क्षेत्रीय पहचान को भारतीय राष्ट्रवाद के बड़े ढाँचे से जोड़ा। भाषाई–सांस्कृतिक

विविधता और नव–माध्यमों ने आंदोलन को भावनात्मक और विचारशील दोनों रूपों में जन–जन तक पहुँचाया।

7) स्वतंत्रता से पहले का अंतिम दशक: संस्थागत और वैचारिक तैयारी (1937–1947)

असम प्रांतीय कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय संगठनों ने प्रशासनिक सुधार, वनाधिकार और भूमि–प्रश्नों पर आंदोलन किए।

सीमांत नीति और रियासतों—मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम—में राजनीतिक सुधार और प्रतिनिधिक संस्थाओं की माँग ने स्वतंत्रता से ठीक पहले राजनीतिक एकीकरण और लोकतांत्रिक संक्रमण की जमीन तैयार की।

भाषा, साहित्य, नाटक और शिक्षा का प्रसार इसी अवधि में तेज हुआ, जिससे स्वतंत्रता के आदर्श जनमानस में गहराई से स्थापित हुए।

गोपीनाथ बोरदोलोई का नेतृत्व—वन/भूमि नीति, नागरिक अधिकार और प्रवासी–प्रश्न—बाद की शासन–प्रक्रियाओं का आधार बना। तारुण राम फूकन के संगठनात्मक प्रयासों और ज्योति प्रसाद व नबीन चंद्र जैसे सांस्कृतिक नेताओं ने जन–जागरण को बहुआयामी बनाया।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर भारत का योगदान केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय है। इसकी विशेषता इसकी बहु–स्तरीयता में है—खासी–जयन्तिया, असमिया किसान, कुकी, आबोर/आदि के सशस्त्र प्रतिरोध से लेकर वैचारिक चुनौती तकय महिला नेतृत्व से सांस्कृतिक–पत्रकारी जागरण तक; जनजातीय स्वायत्तता से संस्थागत–लोकतांत्रिक तैयारी तक; और अंततः INA के सैन्य–मानसिक–राजनीतिक प्रभाव तक।

इन सभी धागों ने स्वतंत्रता की विराट चादर बुनी। इसी से आजादी की कहानी "एक मुखी" व्याख्याओं से बाहर निकल. कर बहुसांस्कृतिक और जन–आधारित राष्ट्रीयता के रूप में उभरती है। पूर्वोत्तर के प्रतिरोध ने औपनिवेशिक तंत्र को नीतिगत ही नहीं, मानसिक–राजनीतिक धरातल पर भी चुनौती दी—और यही चुनौती स्वतंत्रता के निर्णायक वर्षों में पूरे भारत में उठती लहर के साथ मिलकर स्वतंत्रता–सिद्धि तक पहुँची।

पांच बरस लम्बी सड़क

श्रद्धांजलि – अमृता प्रीतम

सेंक मौसम का था, मन का नहीं। हवाई जहाज वक्त पर आया था, पर नीचे एयरपोर्ट से अभी सिगनल नहीं मिल रहा था। जहाज को दिल्ली पहुँचने की खबर देकर भी, अभी दस मिनट और गुजारने थे, इसलिए शहर के ऊपर उसको कुछ चक्कर लगाने थे।

उसने खिड़की में से बाहर झाँकते हुए शहर के मूंडेरे पहचाने, मुंडेरे, किले, खँडहर, खेत...

'क्या पहचान सिर्फ आँखों की होती है? आँखें इस पहचान को अपने से आगे, कहीं नीचे तक, क्यों नहीं उतारतीं?'– उसे खयाल आया। पर एक धुन जैसी सोच की तरह नहीं, ऐसे ही राह जाता खयाल।

मुँडेर, किले, खेंडहर, खेत–उसने कई देशों के देखे थे। हर देश में इन चीजों के यही नाम होते हैं, चाहे हर देश में इन चीजों का अलग–अलग इतिहास होता है। इन के रंग, इन के कद, इन की मुंह–मुहार भी अलग–अलग होती है–एक इनसान से अलग दूसरे इनसान की तरह। पर फिर भी इनसान का नाम इनसान ही रहता है। मुँडेरों का नाम भी मुँडेर ही रहता है, किले का नाम भी किला ही...

सिर्फ एक हलका–सा फर्क था–हर देश में इन चीजों को देखते वक्त एक खयाल–सा रहता था कि वह इन्हें पहली बार देख रहा था। पर आज अपने देश में इन्हें देखकर उसे लग रहा था कि वह इन्हें दूसरी बार देख रहा था और उसे खयाल आया अगर वह फिर कुछ दिनों बाद परदेश गया तो वहाँ जाकर, उन्हें देखकर भी, इसी तरह लगेगा कि वह उनको दूसरी बार देख रहा है। बिलकुल आज की तरह। यह देश और परदेश का फर्क नहीं था। यह सिर्फ पहली बार, और दूसरी बार देखने का फर्क था।

जहाज ने 'लैण्डश किया। एयरपोर्ट भी जाना–पहचाना–सा लगा, दूसरी बार देखने की तरह। इस से ज्यादा उसके मन में कोई सेंक नहीं था।

ओवरकोट उसके हाथ में था। गले का स्वेटर भी उतारकर उसने कन्धे पर रख लिया।

सेंक मौसम का था, मन का नहीं।

कस्टम में से गुजरते वक्त उसे एक फार्म भरना था कि पिछले नौ दिन वह कहाँ कहाँ रहा था। पिछले नौ दिन वह सिर्फ जरमनी में रहा था। उसने फार्म भर दिया। और उसे खयाल आया–अच्छा है, कस्टमवाले सिर्फ नौ दिनों का लेखा पूछते हैं, बीस–पचीस दिनों का नहीं। नहीं तो उसे सिलसिलेवार याद करना पड़ता कि कौन–सी तारीख वह किस देश में रहा था। उसने वापस आते समय कोई एक महीना सिर्फ इसी तरह गुजारा था–कभी किसी देश का टिकट ले लेता था, कभी किसी देश का। अगर किसी देश का वीजा उसे नहीं मिलता था तो वह दूसरे देश चल पड़ता था...

पासपोर्ट की चेकिंग करते समय, और पासपोर्ट वापस करते हुए, एक अफसर ने मुसकरा के कहा था, 'जनाब पाँच बरस बाद देश आ रहे हैं।'

बिलकुल उसी तरह जिस तरह एयर होस्टेस ने राह में कई बार बताया था कि इस वक्त तक हम इतने हजार किलोमीटर तय कर चुके हैं। गिनती अजीब चीज होती है, चाहे मीलों की हो या बरसों की। उसे हँसी–सी आयी।

जहाज में से उसके साथ उतरे हुए लोगों को लेने आये हुए लोग–हाथ मिलाकर भी मिल रहे थे, गले में बाँहें डालकर भी मिल रहे थे। कइयों के गले में फूलों के हार भी थे। श्पसीने की और फूलों की गन्ध से शायद एक तीसरी गन्ध और भी होती है' उसे खयाल आया। पर तीसरी गन्ध की बात उसे एक थीसिस लिखने के बराबर लगी। वह अभी–अभी एक परदेशी जबान सीखकर और उसके लिटरेचर पर थीसिस लिख के, एक डिगरी लेकर आया था। नये थीसिस की कोई बात वह अभी नहीं सोचना चाहता था। इसलिए सिर्फ पसीने और फूलों की गन्ध सूंघता हुआ वह एयरपोर्ट से बाहर आ गया।

घर में सिर्फ माँ थी।

जाते वक्त बाप भी था, छोटा भाई भी, और एक लड़की... नहीं, वह लड़की घर में नहीं थी, वह सिर्फ उसी दिन उसके जानेवाले दिन आयी थी। माँ को सिर्फ ऐसे ही कुछ घण्टों के लिए भ्रम हुआ था कि वह लड़की... छोटा भाई ब्याह करा के अब दूर नौकरी पर रहता था, घर में नहीं था। बाप अब इस दुनिया में कहीं नहीं था। इसलिए घर में सिर्फ माँ थी।

कई चीजें अन्दर से बदल जाती हैं, पर बाहर से वही रहती हैं। कई चीजें बाहर से बदल जाती हैं, पर अन्दर से वही रहती हैं।

उसका कमरा बिलकुल उसी तरह था –उसका पीला गलीचा, उसकी खिड़की के टसरी परदे, उसकी मेज पर पड़ा हुआ हरी धारियों का फूलदान, और दहलीज में पड़ा हुआ गहरा खाकी पायदान। चाँदनी का पौधा भी उसकी खिड़की के आगे उसी तरह खिला हुआ था। पर पहले इस सब कुछ की गन्ध–दीवारों की ठण्डी गन्ध के समेत–उसके साथ लिपट–सी

जाती थी। और अब उसे लगा कि वह उसके साथ लिपटने से सकुचाती, सिर्फ उसके पास से गुजरती थी और फिर परे हो जाती थी। पता नहीं, उसके अन्दर कहाँ क्या बदल गया था।

माँ कश्मीरी सिल्क की तरह नरम होती थी और तनी–सी भी। पर उम्र ने उसे जैसे घो–सा दिया था। वह सारी –की–सारी सिकुड़ गयी लगती थी। माँ से मिलते वक्त उसका हाथ माँ के मुंह पर ऐसे चला गया था जैसे उसे हथेली से मांस की सारी सिकुडनें निकाल देनी हों। माँ की आवाज भी बड़ी धीमी और क्षीण–सी हो गयी लगती थी। शायद पहले उसकी आवाज का जोर उसके कद जितना नहीं, उसके मर्द के कद जितना थाय और उसके बिना अब वह नीचा हो गया था, मुश्किल से उसके अपने कद जितना। जब उसने बेटे का मुंह देखा था, उमर की आँखें उसी तरह सजग हो उठी थीं जैसे हमेशा होती थीं। उसके सीने की साँस उसी तरह उतावली हो गयी थी, जैसे हमेशा होती थी। वह कहीं किसी जगह, बिलकुल वही थी, जो हमेशा होती थी। सिर्फ उसके बाहर बहुत कुछ बदल गया था।

"मुझे पता था, तू आज या कल किसी दिन भी अचानक आ जायेगा," माँ ने कहा।

उसने अपने कमरे में लगे हुए ताजे फूलों को देखा, और फिर माँ की तरफ।

माँ की आवाज सकुचा–सी गयी–"यह तो मैं रोज ही रखती थी।"

"रोज? कितने दिनों से?" वह हँस पड़ा।

"रोज," माँ की आवाज उसके जिस्म की तरह और सिकुड़ गयी, "जिस दिन से तू गया था।"

"पाँच बरसों से?" वह चौंक–सा गया।

माँ सकुचाहट से बचने के लिए रसोई में चली गयी थी।

उसने जेब में से सिगरेट का पैकेट निकाला। लाइटर पर उँगली रखी, तो उसका हाथ ठिठक गया। उसने माँ के सामने आज तक सिगरेट नहीं पी थी।

माँ ने शायद उसके हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट का पैकेट देख लिया था। वह धीरे से रसोई में से बाहर आकर, और बैठक में से ऐश–ट्रे लाकर उसकी मेज पर रख गयी।

उसे याद आया–छोटे होते हुए माँ ने उसे एक बार चोरी से सिगरेट पीते देख लिया था, और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी थी।

माँ शायद वही थी पर वक्त बदल गया था।

माँ फिर रसोई में चली गयी। वह चुपचाप सिगरेट पीने लगा।

"मुझे पता था, तू आज या कल किसी दिन भी आ जायेगा... " उसे माँ की अभी कही गयी बात याद आयी। और उसके साथ मिलती–जुलती एक बात भी याद आयी। "मुझे पता लग जायेगा जिस दिन तुम्हें आना होगा, मैं खुद उस दिन तुम्हारे पास आ जाऊँगी।"

बहुत देर हुई, जब वह परदेश जाने लगा था, उसे एक लड़की ने यह बात कही थी।

उस लड़की से उसकी दोस्ती पुरानी नहीं थी, वाकफियत पुरानी थी, दोस्ती नहीं थी। पर पाँच बरसों के लिए परदेश जाने के वक्त, जाने की खबर सुन–कर, अचानक उस लड़की को उसके साथ मुहब्बत हो गयी थी–जैसे जहाज में बैठे किसी मुसाफिर को अगले बन्दरगाह पर उतर जाने वाले मुसाफिर से अचानक ऐसी तार जुड़ी–सी लगने लगती है कि पलों में वह उसे बहुत कुछ दे देना और उससे बहुत कुछ ले लेना चाहता है।

और ऐसे वक्त पर बरसों में गुजरनेवाला पलों में गुजरता है।

उसने यह श्गुजरनाश देखा था। अपने साथ नहीं, उस लड़की के साथ।

"तुम्हारा क्या खयाल है, मैं जो कुछ जाते वक्त हूँ, वही आते वक्त होऊंगा?" उसने कहा था।

"मैं तुम्हारी बात नहीं कहती, मैं अपनी बात कहती हूँ," लड़की ने जवाब दिया था।

"तुम यहीं होगी, यह तुम्हें किस तरह पता है?"

"लड़कियों को पता होता है।

"तो लड़कियाँ बावरी होती हैं।

वह हँस पड़ा था। लड़की रो पड़ी थी।

जाने में बहुत थोड़े दिन थे। पाँच दिन और पाँच रातें लगाकर उस लड़की ने एक पूरी बाहों वाला स्वेटर बुना था। उसे पहनाया था और कहा था, "बस एक... इकरार माँगती हूँ, और कुछ नहीं। जिस दिन तुम वापस लौटो, गले में यही स्वेटर पहनकर आना।"

"तुम्हारा क्या खयाल है, मैं वहाँ पाँच बरस... " उसने जो कुछ लड़की को कहना चाहा था, लड़की ने समझ लिया था।

जवाब दिया था, "मैं तुम से अनहोने इकरार नहीं माँगती। सिर्फ यह चाहती हूं कि वहाँ का वहाँ ही छोड़ आना।"

वह कितनी देर तक उस लड़की के मुंह की तरफ देखता रहा था।

और फिर उसको यह सब कुछ एक अनादि औरत का अनादि छल लगा था। वह बेवफाई की छूट दे रही थी पर उस पर वफा का भार लादकर।

कह रही थी, "मैं तुम्हें खत लिखने के लिए भी नहीं कहूँगी। सिर्फ उस दिन तुम्हारे पास आऊँगी, जिस दिन वापस आओगे।"

"तुम्हें किस तरह पता लगेगा, मैं किस दिन वापस आऊँगा?" लड़की को टीज करने के लिए उसने कहा था।

और उसने जवाब दिया था, "मुझे पता लग जायेगा, जिस दिन तुम्हें आना होगा।"

उस दिन वह हँस दिया था।

उसने परदेश देखे थे, बरस देखे थे, लड़कियाँ भी देखी थीं।

पर किसी चीज में उसने डूबकर नहीं देखा था, सिर्फ किनारों से छूकर।

और वह सोचता रहा था–शायद डूबना उसका स्वभाव नहीं, या वह चलता है, तो एक भार भी उसके साथ चलता है, और उसके पैरों को हर जगह कुछ रोक–सा लेता है।

इन बरसों में उसने कभी उस लड़की को खत नहीं लिखा था। लड़की ने कहा भी इसी तरह था।

हर देश को दोस्ती उसने उसी देश में छोड़ दी थी। यह शायद उसका अपना ही स्वभाव था, या इसलिए कि उस लड़की ने कहा था।

सिर्फ वापस आते वक्त, जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, उस स्वेटर को हाथ में पकड़कर वह कितनी देर सोचता रहा था कि वह उसे और चीजों के साथ पैक कर दे या उस लड़की की बात रख ले, और उसे पहन ले।

जो स्वेटर पहनकर जाना, पाँच बरसों बाद वही पहनकर आना, उसे एक मूर्खता की सी बात लगी थी। मूर्खता की सी भी और जज्बाती भी।

और एक हद तक झूठी भी। क्योंकि जिस बदन पर यह स्वेटर पहनना था वह उस तरह नहीं था जिस तरह वह लेकर गया था।

पर उसने स्वेटर को पैक नहीं किया। गले में डाल लिया। ऐसे जब वह स्वेटर पहनकर शीशे के सामने खड़ा हुआ–उसे आर्ट गैलरियों में बैठे वे आर्टिस्ट याद आ गये, जो पुरानी और क्लासिक पेण्टिग्ज की हबहू नकलें तैयार करते हैं। और स्वेटर पहनकर उसे लगा–उसने भी अपनी एक नकल तैयार कर ली थी। इस नकल से वह शर्मिंदा नहीं था, सिर्फ इस नकल पर वह हँस रहा था।

माँ को वह सब कुछ याद था, जो कभी उसे अच्छा लगता था। लेकिन वह स्वयं भूल गया था।

"देख तो अच्छा बना है?" माँ ने जब पनीर का पराँठा बनाकर उसके आगे रखा, तो उसको याद आया कि पनीर का पराँठा उसे बहुत अच्छा लगता था। माँ ने जानेवाले दिन भी बनाया था।

उसने एक कौर तोड़कर मक्खन में डुबाया, और फिर माँ के मूँह में डाल–कर हँस पड़ा–"वहाँ लोग पनीर तो बहुत खाते हैं पर पनीर का पराँठा कोई नहीं बनाता।"

यह छुटपन से उसकी आदतें थीं।

"जाने में बहुत थोड़े दिन थे। पाँच दिन और पाँच रातें लगाकर उस लड़की ने एक पूरी बाहों वाला स्वेटर बुना था। उसे पहनाया था और कहा था, "बस एक... इकरार माँगती हूँ, और कुछ नहीं। जिस दिन तुम वापस लौटो, गले में यही स्वेटर पहनकर आना।"

जब वह बड़ा रौ में होता था, रोटी का पहला कौर तोड़कर माँ के मूंह में डाल देता था।

"तू सात विलायत घूमकर भी वही का वही है", माँ के मुंह से निकला और उसकी आंखों में पानी भर आया। भरी आँखों से वह कह रही थी, "तू आया है, सब कुछ फिर उसी तरह हो गया है।"

वह 'वह' नहीं था। कुछ भी वह नहीं था, जाते वक्त जो कुछ था वह सब बदल गया था। उसने बाप की बात नहीं छेड़ी थी, सिर्फ उसके खाली पलंग की तरफ देखा था, और फिर आँखें परे कर ली थीं। माँ के दिन–ब–दिन मुरझाते मुँह को बात भी नहीं की थी। छोटे भाई की खैर–खबर पूछी थी, पर यह नहीं कहा था कि माँ को अकेला छोड़कर उसे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। पर माँ कह रही थी, "सब कुछ फिर उसी तरह हो गया है... "

"झटपट जो कोई भुलावा पड़ जाये, क्या हरज है", उसने सोचा भी यही था। मां के मूंह में अपनी रोटी का कौर भी इसी लिए डाला था।

उसने कोई और भी माँ की मरजी की बात करती चाही। पूछा, "भाभी कैसी हैं? तुम्हें पसन्द आयी हैं?"

माँ ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ सवाल–सा किया, "मेरा खयाल था, तू विलायत से कोई लड़की... "

वह हँस पड़ा।

"बोलता क्यों नहीं?"

"विलायत की लड़कियाँ विलायत में ही अच्छी लगती हैं, सब वहीं छोड़ आया हूं।"

"मैं ने तो इस महीने पिछले दोनों कमरे खाली करवा लिये थे। सोचा था, तुझे जरूरत होगी।"

"ये कमरे किराये पर दिये हुए थे?"

"छोटा भी चला गया था। घर बड़ा खाली था इसलिए पिछले कमरे चढ़ा दिये थे। जरा हाथ भी खुला हो गया था..."

"तुम्हें पैसों की कमी थी?" उसे परेशानी–सी हुई।

"नहीं, पर हाथ में चार पैसे हों तो अच्छा होता है।"

"छोटे की तनख्वाह थोड़ी नहीं, वह... "

"पर वह भी अब परिवारवाला है, आजकल में ही उसके घर... "

"सो मेरी माँ दादी बन जायेगी... "

उसने माँ को हँसाना चाहा, पर माँ कह रही थी, "मुझे तो कोई उज्र नहीं था जो तू विलायत से कोई लड़की... "

वह माँ को हँसाने के यत्न में था। इसलिए कहने लगा, "लाने तो लगा था

पर याद आया कि तुम ने जाते समय पक्की की थी कि मैं विलायत से किसी को साथ न लाऊँ।"

उसे याद आया–जानेवाले दिन, वह लड़की जब मिलने आयी थी, वह माँ को अच्छी लगी थी। माँ ने उन दोनों को इकट्ठा देखकर, ताकीद दी थी, "देख, कहीं विलायत से न कोई ले आना। कोई भी अपने देश की लड़की की रीस नहीं कर सकती... "

पर इस वक्त माँ कह रही थी, "वह तो मैं ने वैसे ही कहा था। तेरी खुशी से मैं ने मुनकिर क्यों होना था। पीछे एक खत में मैंने तुझे लिखा भी था कि जो तेरा जी चाहता हो... "

"यह तो मैंने सोचा, तुमने ऐसे ही लिख दिया होगा," वह हँस पड़ा और फिर कहने लगा, "अच्छा, जो तुम कहो तो मैं अगली बार ले आऊँगा।"

"तू फिर जायेगा?" माँ घबरा–सी गयी।

"वह भी जो तुम कहो तो, नहीं तो नहीं।"

उसे लगा, उसे आते ही जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी। आते वक्त उसे एक यूनिवर्सिटी से एक नौकरी ऑफर हुई थी। पर वह इतने बरसों बाद एक बार वापस आना चाहता था। चाहे महीनों के लिए ही।

"जो तुम कहोगी तो नहीं जाऊंगा", उसने फिर एक बार कहा।

माँ को कुछ तसल्ली आ गयी। कहने लगी, "तू सामने होगा, चूल्हे में आग जलाने की तो हिम्मत आ जायेगी, वैसे तो कई बार चारपाई पर से नहीं उठा जाता।"

"माँ, तुम इतनी उदास थीं, तो छोटे के साथ, उसके घर... "

"मैं यहाँ अपने घर अच्छी हूँ। अब तू आ गया है, मुझे और क्या चाहिए !

उसको लगा माँ बहुत उदास थी। और शायद उसकी उदासी का सम्बन्ध सिर्फ उसके अकेलेपन से नहीं, किसी और चीज से भी था।

खिड़की में से आती धूप की लकीर दीवार पर बड़ी शोख–सी दिख रही थी। उसने खिड़की के परदे को सरक. या। और उसे गलीचे का पीला रंग ऐसे लगा जैसे निश्चिन्त–सा होकर कमरे में सो गया हो।

"तू थक गया होगा। कुछ सो ले, " माँ ने कहा, और मेज पर से प्लेट उठाकर कमरे से जाने लगी।

"नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही," उसने हलका–सा झूठ बोला, और कहा, "मैं तुम्हारे लिए एक–दो चीजें लाया हूँ, देखूं पूरी आती हैं कि नहीं।"

उसने सूटकेस खोला। एक गरम काली ऊन की शाल थी, पंखों जैसी हलकी। माँ के कन्धों पर डालकर कहने लगा, "यह जाड़े की चीज है, पर एक मिनट अपने ऊपर ओड़कर दिखाओ। यह तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी।

फिर उसने फर के स्लीपर निकाले। मां के पैरों में पहनाकर कहने लगा, "देखो, कितने पूरे आये हैं ! मुझे डर था, छोटे न हों।"

"इस उम्र में मुझे अच्छे लगेंगे?" माँ की आँखों में पानी–सा भर आया था।

माँ का ध्यान बटाने के लिए और चीज दिखाने लगा। प्लास्टिक की एक छोटी–सी डब्बी में कुछ सिक्के थे–इटली के लीरा, यूगोस्लाविया के दीनार, बलगारिया के लेता, हंगरी के फारेंटस, रोमानिया के लई, जरमनी के दीनार... उसने सिक्कों को खनकाया और कहने लगा, "माँ, तुमने कहा था न कि छोटे के घर बहुत जल्दी काई बच्चा... "

"हाँ–हाँ, कहा था," माँ कमरे से जाने के लिए उतावली–सी लगी।

"यह अपने भतीजे को दूंगा।

और फिर उसने सूटकेस में से और चीजें निकालीं–"छोटे के लिए यह कैमरा, और भाभी के लिए यह... "

माँ रुआन्सी–सी हो गयी।

उसका हाथ रुक गया।

"माँ, क्या बात है, तुम मुझे बताती क्यों नहीं?"

माँ चुप थी।

उसने माँ के कन्धे पर हाथ रखा।

माँ को काई कहीं कुसूरवार लगता था। पता नहीं, कौन? और सोच–सोच कर उसे अपना मुंह ही कुसूरवार लगने लगा था। उसने एक विवशता से उसकी तरफ देखा।

"माँ, तुम कुछ बताना चाहती हो, पर बताती नहीं।

"वह लड़की... "

"कौन–सी लड़की?"

"जो तुझे उस दिन मिलने आयी थी, जिस ने तेरे लिए एक स्वेर्ट... "

"हाँ, क्या हुआ उस लड़की को?"

"उसने छोटे के साथ ब्याह कर लिया है।"

माँ के कन्धे पर रखा हुआ उसका हाथ कस–सा गया। एक पल के लिए उसे लगा कि हाथ ने कन्धे का सहारा लिया था, पर दूसरे पल लगा कि हाथ ने कन्धे को सहारा दिया था और वह हँस पड़ा–"सो वह मेरी भाभी है !"

माँ उसके मुंह की तरफ देखने लगी।

"मुझे खत में क्यों नहीं लिखा था?"

"क्या लिखती... यह उन्होंने लिखनेवाली बात थी?"

"छोटे ने सिर्फ ब्याह की खबर दी थी और कुछ नहीं लिखा था।"

"दोनों शरमिन्दे तुझे क्या लिखते!"

खुले सूटकेस के पास जो दूसरा बन्द सूटकेस था, उस पर उसका ओवर –कोट और वह स्वेटर पड़ा हुआ था जो उसने सुबह आते वक्त पहना था।

वह एक मिनट स्वेटर की तरफ देखता रहा। स्वेटर गुच्छा–सा होकर अपने– आप को ओवरकोट के नीचे छिपाता–सा लग रहा था।

राष्ट्रीय आवास बैंक को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से प्राप्त पुरस्कारों की झलकियां

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु बैंक को वित्तीय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

बैंक की हिंदी गृह पत्रिका आवास भारती हेतु बैंक को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया

पंजी, संख्या, दिल्ली इन /2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

अनुलग्नक IB

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय परिणाम (₹ लाख में)

विवरण	31.12.2025 को समाप्त तिमाही	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	30.09.2025 को समाप्त तिमाही	31.12.2025 को समाप्त छमाही	31.12.2024 को समाप्त छमाही	30.06.2025 को समाप्त वित्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1. परिचालन से कुल आय[&]	1,86,667	1,85,307	1,97,308	3,83,974	3,70,345	7,69,221
2. अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, असाधारण और/या असामान्य मद[#])	55,444	61,322	64,998	1,20,442	1,23,113	2,54,844
3. अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि), (असाधारण और/या असामान्य मदों के पश्चात[#])	55,444	61,322	64,998	1,20,442	1,23,113	2,54,844
4. अवधि हेतु कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के पश्चात[#])	41,334	44,472	48,978	90,312	91,677	1,90,941
5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर के पश्चात)]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6. इक्विटी शेयर पूंजी	1,45,000	1,45,000	1,45,000	1,45,000	1,45,000	1,45,000
7. पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)[$]	15,11,587	13,20,077	15,11,587	15,11,587	13,20,077	15,11,587
8. प्रति शेयर आय (ईपीएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(क) मूल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख) डाइल्यूटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

& परिचालन से आय में अग्रिम, बैंक जमा और निवेश पर ब्याज आय शामिल है।

असाधारण और/या असामान्य मदों को इंडएएस नियमों/एएस नियमों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में समायोजित किया गया है, जो भी लागू हो।

$ समाप्त तिमाही/छमाही के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार लिया गया है।

टिप्पणियां:

क) उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है।

ख) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों (www.bseindia.com/ www.nseindia.com) एवं बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर उपलब्ध है।

ग) सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम के विनियम 52(4) में संदर्भित अन्य लाइन मद के लिए, बीएसई और एनएसई को प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं और इन्हें यूआरएल (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर देखा जा सकता है।

घ) लेखा नीतियों में परिवर्तन (नों) के कारण निवल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय या किसी अन्य प्रासंगिक वित्तीय मदों पर प्रभाव का प्रकटीकरण फुटनोट के माध्यम से किया जाएगा। शून्य

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02 फरवरी, 2026

कृते निदेशक मंडल
संजय शुक्ला
प्रबंध निदेशक

प्रधान कार्यालय: राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5–ए, भारत पर्यावास केंद्र, 3–5 तल, लोधी रोड नई दिल्ली–110003
क्षेत्रीय कार्यालय: नई दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, रायपुर, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, रांची, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: मार्शल एडवर्टाइजिंग कंपनी, नई दिल्ली–110024